हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

8 मार्च, 1979

खण्ड 1 अंक 7

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 8 मार्च, 1979

		पृश्ठ संख्या
	तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)1
	नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7)27
	ध्यानाकर्शण सूचना –	
	खालें पक्के करने के लिए किसानों द्वारा व्यय सहन करने सम्बन्धी	(7)32
	बिजनैस एकडवाजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट	(7)34
	गैर सरकारी बिल –	
	दि हरियाणा सीलिंग आन लैड होल्डिग्ज (अमैंडमैंट)–1979	(7)36

	गैर सरकारी प्रस्ताव –	
(1)	पंजाब तथा हरियाणा के मध्य रावी–ब्यास के अतिरेक पानी के विभाजन तथा पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना योजक नहर के भाग को कम से कम समय में निर्मित करने संबंधी (पुनरारम्भ)	(7)39
(2)	जिला गुडगांव की तहसील नूह, फिरोजपुर झिरका, पलवल तथा उप–तहसील पटौदी को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोशित करने संबंधी	(7)45
(3)	राज्य में उच्च भारी प्रशासन में वृद्धि रोकने के लिये आई.ए.एस. कैडर की संख्या में और वृद्धि न करने संबंधी	(7)67

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 8 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रायः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब सवाल होंगे।

Distribution of Controlled Cloth

***910. Swami Adityavesh**: Will the Minister for Cooperation be pleased to state –

(a) the quantity together with the rate at which the controlled cloth is given to a block for distribution every month;

(b) the criteria fixed for distribution of said cloth;

(c) whether it is a fact that on 29th July, 11978, the total cloth measuring 231 mtrs, was given for distribution to depot holder of Punhana Block in district Gurgaon when the population of Punhana Block is more than one lakh and 40 thousand;

(d) if reply to part (c) above be in the affirmative the reasons for giving so less quantity of cloth; and

(e) the average consumption of controlled cloth per head in the State?

सहकारिता एवं दुग्ध विकास मंत्री (चौ. भजन लाल):

(ए तथा बी) नियन्त्रित कपड़े का वितरण जो भिन्न भिन्न किस्म का होता है प्रत्येक त्रैमास में 10 मीटर प्रति राशन कार्ड की दर से नियन्त्रित कीमत पर किया जाता है।

(सी) नहीं।

(डी) उक्त 'सी' में दिये गये उत्तर की अवस्था में प्रश्न नहीं उठता।

(ई) राज्य में वर्तमान ऐलोकेशन के अनुसार नियन्त्रित कपड़ की प्रति व्यक्ति की औसत खपत 0—63 मीटर प्रति वर्श है।

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का पार्ट 'सी' यह था कि क्या यह सत्य है कि दिनांक 29—7—78 को पुनहाना ब्लॉक, जिला गुड़गांव के डिपो—होल्डर को वितरण हेतु 231 मीटर कपड़ा दिया गया था और उसका मंत्री महोदय ने जवाब दिया है 'नही'। अपने प्रश्न के पार्ट 'डी' में मैंने पूछा था

कि यदि यह बात ठीक है तो इतनी कम मात्रा में कपड़ा देने का कारण दिया जाए। इसके जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि उक्त 'सी' में दिए गए उत्तर की अवस्था में प्रश्न नहीं उठता। तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि जिला गुड़गांव के पुनहाना ब्लॉक को जुलाई के महीने में कुल कितना कपड़ा दिया गया?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पुनहाना ब्लॉक की आबादी एक लाख तीस हजार है बाकी सारी स्टेटकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इस ब्लाक की आबादी का जितना हिस्सा बनता था उसी रेशो से वहां 61522 मीटर कपड़ा दिया गया है।

स्वामी अंादित्यवेश: अध्यक्ष महोदय सवाल तो यह है कि जुलाई के महीने में पुनहाना ब्लॉक के डिपो होल्डर का कितना कपड़ा दिया गया?

अध्यक्ष: उन्होंने पूरे साल का बता दिया है। अगर एक महीने के बारे में आप जानना चाहते है तो नोटिस दे दें, ये जवाब दे देंगे।

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, मैंने रसीद देखी है। चार महीने के बाद केवल 231 मीटर कपड़ा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: शायद दो रसीदें हों और आपने केवल एक ही रसीद देखा हों।

श्री शमशेर सिंह: क्या मंत्री जी बताएंगे कि हरियाणा में इस प्रकार के कितने डिपों हैं और कौन सी आईटम्ज उनमें सेल के लिए रखी गई हैं?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा स्टेट में 1973 डिपों हैं इनमें से 805 कोआप्रेटिव सोसाइटीज के हैं ओर 1168 प्राईवेट हैं। आईटम्ज का जहां तक सम्बन्ध है, वे कपड़े की अलग अलग किस्म की 8–10 आईटम्ज हैं जैसे धोती जोड़ा, लट्ठा और छींट आदि।

चौ. संत कंवर: मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो 1168 प्राईवेट डिपो होल्डर्ज है उनके ऊपर सरकार का क्या कंट्रोल है ताकि वे सही दामों पर कपड़ा बेचे?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसका कंट्रोल फूड एंड सप्लाई डिपार्टमैंट के पास है। वह समय समय पर चैकिंग करता रहता है।

चौ. हरिचन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं मी जी से पूछना चाहूंगा कि जैसे मैंने 40 गांवों में कपड़ा बंटवाया है और जिसके बारे में मैंने गवर्नमैंट को लिखा भी है, उस स्कीम के ऊपर ये क्यों अमल नहीं करते? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं बनता। (विघ्न)

चौ. हरिचन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं तो यह जानना चाहता हं कि मंत्री जी उस स्कीम की क्यों लागू नहीं करते?

श्री अध्यक्ष: वह स्कीम क्या है?

चौ. हरिचन्द हुड्डा: उस स्कीम के तहत कपड़ा मिनी बैकस के थ्रू बांटा जाता है। क्या सरकार सभी जगह मिनी बैंक्स के द्वारा ही कपड़ा बांटे जाने का विचार नहीं रखती?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी बताया कि 805 डिपो ऐसे हैं जो मिनी बैक्स के ही कपड़ा बांटने हैं। कोआप्रेटिव सोसायटी से मतलब मिनी बैंक से ही है। कई जगह मिनी बैंकस आगे नहीं आते। इसलिए मजबूर होकर डिपों प्राईवेट आदमी को देना पड़ता है। वैसे प्रैफरैन्स मिनी बैंक को ही दी जाती है।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री जी को यह इल्म है कि बहुत से सरकारी स्टोर्ज में बहुत सी चीजों का भाव बाजाार के भाव से ज्यादा चार्ज किया जाता है? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: क्या आपका मतलब है कि कंट्रोल रेट बाजार के भाव से ज्यादा है या वे जबरदस्ती ज्यादा भाव पर चीजें दे रहे है?

चौ. बीरेन्द्र सिंह: वे मार्जिन ऑफ प्रौफिट इतना ले रहे हैं कि ववे कंट्रोल प्राईस से ज्यादा कीमत चार्ज करते हैं। मेरे पास स्पैसिफिक इंस्टांसिज हैं।

चौ. भजन लाल: ऐसी कोई बात नहीं है। कोआप्रेटिव कंज्यूमर स्टोर्ज में रियायत से चीजें मिलती हैं। बाजार में तो डयोढे और दोगुने रेट पर धोती का जोड़ा मिलता है लेकिन कम कीमत पर चीजें सप्लाइ करने के लिए हमने यह स्कीम चलाई है। अगर बाजार में इससे सस्ती चीज मिलेगी तो हारे सरकारी डिपो से कौन खरीदेगा। अगर इनके पास कोई एक भी मिसाल है तो सरकार को लिख कर भेजें। हम पूरी पूरी जांच करवाएंगे और किसी भी अधिकारी का कसूर पाया गया तो उस अधिकारी या कर्मचारी को माफ नहीं किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगर कोई स्पैसिफिक केस आपके नोटिस में हो तो आप उसे मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाएं।

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, देखने में यह आया है कि कुछेक डिपो होल्डर्ज को तो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा दे दिया जाता हैं और कुछेक को घटिया क्वालिटी का कपड़ा दिया जाता है। क्या सरकार इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंज जारी करेगी कि सबको एक सा कपड़ा दिया जाए?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने फेसला किया हुआ है कि जितना कपड़ा आता है उसका 80

फीसदी देहात में और 20 परसैंट शहरों में बेचा जाए। जिस भी किस्म का कपड़ा आता है उसे आबादी के लिहाज से सब जगह बराबर तकसीम किया जाता है और किसी किस्म का भेदभाव नहीं बरता जाता। अच्छे में से अच्छा और रफ में से रफ कपड़ा सबको बराबर बांट कर दिया जाता है।

श्री देवी दास: क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकारी दफतरों से जो कंज्यूमर्ज स्टोर्ज के पास आर्डर्ज आते हैं उनको वे फैक्टरी की एजैन्सी से कपड़ा लेकर देते हैं या प्राइवेट दुकानदारों से मंहगे भाव पर लेकर देते हैं?

चौ. भजन लाल: टैक्सटाईल कमिश्नर बम्बई जो कपड़ा अलौट करता है, उसके मुताबिक एलोकेशन होती है। इसमें प्राईवेट दुकानदारों से कपड़ा लेने का कोई सवाल नहीं है।

स्वामी आदित्यवेश: स्पीकर साहब, मैंने सवाल यह किया था कि क्या यह सत्य हे कि दिनांक 29–7–78 को पुनहाना ब्लॉक, जिला गुड़गांव के डिपपो होल्डर को विवरण हेतू 231 मीटर कपड़ा दिया गया था जबकि उसकी आबादी एक लाख चालीस हजार से ज्यादा है? मुझे इस सवाल का ठीक से उत्तर नहीं मिला है?

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ गया है कि 'नहीं'। (विघ्न) आपने जो पूछा था उसका जवाब 'नहीं' में आ गया है। इसके अलावा अगर आप यह पूछना चाहते हैं कि जुलाई के महीने में कितना

कपड़ा मिला, इसके लिए आप अलग से नोटिस दें या सैपरेटली मिल कर इनसे बात कर लें।

I.A.S. & I.P.S. Officers in the State

***1034. Sh. Shamsher Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the number of I.A.S., I.P.S. officers in the State on 31st December, 1978;

(b) the number of above category of officers seving on deputation outside the State;

(c) the total number of gazetted (excluding I.A.S., I.P.S. Officers) non-gazetted officers serving in the State on 31st December, 1978;

(d) total number of III and IV class employees in the State on the above date; and

(e) the number of Scheduled Castes and Backward Classes among the categories mentioned in parts (a), (c) & (d) above?

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल): माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(ए)	आई.ए.एस. 134 तथा आई.पी.एस. 52			31.12.1978 की स्थिति अनुसार
(बी)	आई.ए.एस. 25 तथा आई.पी.एस. 12			
(सी)	4106 राजपत्रित तथा 145503 अराजपत्रित कर्मचारी			
(डी)	117280 श्रेणी तीन तथा 28223 श्रेणी चार कर्मचारी			31.3.1977 की स्थिति अनुसार
(ई)	श्रेणी	अनुसूचित जाति	पिछड़ी श्रेणी	
	आई.ए.एस.	22		
	आई.पी. एस.	9		
	राजपत्रित	176	39	31.12.1978 की स्थिति अनुसार
अराजपत्रित	श्रेणी तीन	10512	5437	31.3.1977 की स्थिति अनुसार
	श्रेणी चार	8821	2729	

श्री शमशेर सिंह: मैं चीफ मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब बैकवर्ड क्लास का कोई भी आई.पी.एस. या आई.ए.एस. अफसर नहीं है तो क्या उनकी रिजर्वेशन के कोटे को पूरा करेंगे?

चौ. देवी लाल: 31.12.78 तक की पोजीशन मैंने बताई हैं इसमें पहले दो परसैन्ट रिजर्वेशन हुआ करती थी लेकिन अब पांच परसैन्ट शुरू हुई है। इस लिए उस पीरियड में उनका कोई अफसर नहीं था, अब जो पांच परसैन्ट रिजर्वेशन की है उसके हिसाब से पूरा कोटा दिया जायेगा।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछले साल शिडयूल्ज कास्टस और बैकवर्ड क्लास सैल की मीटिंग बुलाई थी जिसमें आज के एक्साइज एन्ड टैक्सेशन मिनिस्अर और में भी था और सारे सैक्रेटरी वगैरह भी थे। रिजर्वेशन के सारे आंकड़े देखने के बाद यह कहा गया था कि बड़ा नैगलिजेन्ट नम्बर है, किसी भी डिपार्टमैंट में रिजर्वेशन पूरी नहीं है चाहे वह गवर्नमै।अ आफिस है या अटॉनोम बाडी है। उस मीटिंग में यह फेसला हुआ था कि रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाये जायें। मैं चीफ मिनिस्अर महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन 12 महीनों में शिडयूल्ड कास्टस की रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने और सरकार ने क्या स्टैप्प उठाये हैं?

चौ. देवी लाल: इस कमी को पूरा करने के लिए 875 में से शिडयूल्ड कास्टस को 40 और बैकवर्ड क्लासिज को तीन स्थान मिले है। हम कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए एक तरीका बना दिया है जिससे रोस्टटर सिस्टम के मुताबिक बाई रोटेशन हरेक का नम्बर आ सकेगा।

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आई.पी.एस. और आई.ए.एस. अनुसूचित जातियों के हैं उनमें से बाल्मिकी और विमुक्त जातियों के कितने अधिकारी है?

चौ. देवी लाल: इस ख्याल से पता लगाना है तो अलग से नोटिस दें।

श्री अध्यक्ष: अगर आप शिडयल्ज कास्टा आफिसर्ज के बारे में अलग अलग जातियों की इन्फर्मेशन चाहते है तो अलग से नोटिस दें।

डा. बृज मोहन गुप्ता: स्पीकर साहब, आई.ए.एस. आफिसर्ज कुछ तो डायरेक्अ आते हैं ओर कुछ सर्विसिज मे ंने नोमिनेट किये जाते हैं तो मैं चीफ मिनिस्अर महोदय से जानना चाहता हूं कि जनता सरकार बनने के पश्चात् कितने कितने आई. ए.एस. आफिसर्ज सर्विसिज में से लिए गये हैं?

चौ. देवी लाल: जो आई.ए.एस ओर आई.पी.एस. आफिसर्ज का सम्बन्ध है यह तो सरकार से वास्ता रखता है। प्रान्तीय सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है।

चौ. हरस्परूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि डेपुटेशन पर जो अधिकारी भेजे जाते हैं क्या उनका कोई फिक्सड पीरियउ होता है कि कम से कम इतने दिनों तक वहां रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा इतने दिनों तक रहेंगे?

चौ. देवी लाल: डैपुटेशन के लिए ज्यों ज्यों मांग आती है उसके मुताबिक विचार किया जाता है।

श्री देवेन्द्र शर्मा: मैं चीफ मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा से इतने कम्पीटेन्ट ओर इन्टैलीजेन्ट आफिसर डैपुटेशन पर भागना चाहते है, उसका क्या कारण है?

चौ. देवी लाल: उन दिनों में भागना चाहते थे, जिन दिनों में हम भी भाग करते थे।

श्री भले राम: मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पंजाब में क्लास वन और क्लास टू में प्रमोशन में रिजर्वेशन है क्या इसी प्रकार से हरियाणा में भी करने पर विचार किया जा रहा है?

चौ. देवी लाल: यह आपसे सलाह करके, सोच–विचार किया जायेगा।

चौ. वीरेन्द्र सिंह: चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया हे कि आई.ए.एस. और आई.पी.एस. का बैकवर्ड क्लास का कोई भी अफसर हरियाणा में नहीं हैं। क्या चीफ मिनिस्अर साहब सैन्ट्रल गवर्नमैंट को या पब्लिक सर्विस कमीशन को एलोकेशन के टाईम पर मांग करेंगे कि हमारी स्टेट में बैकवड्ड क्लास के आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अफसर भेजे जायें?

चौ. देवी लाल: हम आलरेडी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बैकवर्ड क्लास की दो से पांच परसैन्ट की रिजर्वेशन की हैं। कांग्रेस राज में केवल दो परसैन्ट रिजर्वेशन थी।

चौ. गंगा राम: स्पीकर साहब, हरियाणा में बहुत आला टाईप के अफसर हैं। क्या आई.ए.एस. आफिसर्ज की जगह एच.सी. एस. अफसर काम नहीं कर सकते हैं? हरियाणा में इतने आई.ए. एस. आफिसर्ज की क्या आवश्यकता हैं?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री शमशेर सिंह: मुख्यमंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि जो उन्होंने डिफरेन्ट कैटेगरीज के गजटिड आफिसर्ज बताये हैं क्या उन तीनों कैटेगरीज में शिडयूल्ड कास्टस का कोटा पूरा कर दिया गया है या नहीं?

चौ. देवी लाल: स्पीकर साहब, अपनी तरु से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोटा पूरा हो। कोटा पूरा नहीं हुता है तो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

तारांकित प्रश्न सं. 891

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, चौ. जगदीश कुमार बैनीवाल, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Potato Production

***985. Sh. Devender Sharma**: Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state whether it is a fact that Haryana has surplus patato production durin this year, if so, the steps proposed to be taken by the Government for the marketing of the crop to save farmers from loss?

सहकारिता एवं दुग्ध विकास मंत्री (चौ. भजन लाल): जी हां। पिछले साल 1.84 लाख टन आलुओं की उपज के मुकाबले चालू वित्त वर्श में 2.70 लाख टन आलू उपज होने की सम्भावना है। हैफेड तथा नैफेड मिलकर आलू खरीदने के लिये मार्किट में आ गये हैं जिसके फलस्वरूप बाजार भाव पर इसका प्रभाव अच्छा पड़ा है।

श्री देवेन्द्र शर्मा: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब जब दौरे पर गये तो वे यह कह कर आये थे कि गवर्नमैंट ने

हैफेड को आर्डर दे दिया है कि आलू की खरीद करे परन्तु हैफेड ने अभी तक आलू नहीं खरीदा है, तो मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार ने इतने दिनों में कितना आलू खरीदा है?

इस सवाल के साथ ही मेरा दूसरा सवाल यह भी है कि कोल्ड स्टोरेज वाले किसानों से बहुत रेट चार्ज करते हैं इसलिए वे उनमें अपने आलू को नहीं रख पाते हैं तो क्या गवर्नमैंट इस बारे में कोई पालिसी बनाने जा रही है कि उनको कम रेटस पर आलू रखने की सुविधा मिल सके?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 17 फरवरी को मीटिंग हुई थी उसमें सारे मामले पर विचार किया गया था। 19 फरवरी को हैफेड ने प्रचेज आरम्भ कर दी थी लेकिन प्रचेज आरम्भ करते ही बरसात शुरू हो गई जिसके कारण पूरी तरह से काम नहीं चल सका। हमने दस सैन्टर खोले हैं जिनमें प्रचेज चल रही है जिसके फलस्वरूप पहले जहां आलू का भाव 25–26 रूपये क्विंटल था अब 35–40 रूपये क्विंटल हो गया है।

कोल्ड स्टोरेज के भावों के बारे में भारत सरकार से मंजूरी लेकर ही हम नोटिफिकेशन कर सकते थे, अब भारत सरकार से मन्जूरी आ गई है और एक सीजन में एक बोरी के दस रूपये चार्ज करेंगे। इसकी नोटिफिकेशन कल जारी कर दी है।

कंवर रामपाल सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी कहा है कि स्टोरेज के लिए दस रूपये बोरी का रेट कर दिया है और इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस तारीख से यह नोटिफिकेशन जारी हुई है उसी तारीख से यह रेट लागू होंगे या बैंक डेट से लागू होंगे और क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि पहले जो 15–15 रूपये प्रति बोरी के हिसाब से चार्ज किया गया है उस ऐक्सैस अमाउंट को वापिस दिलवायेंगे?

चौ. भजन लाल: यह हम नहीं कर सकते। कल से नोटिफिकेशन लागू की है वह कल से ही मानी जायेगी।

श्री शमशेर सिंह: क्या मिनिस्टर महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि हैफेड की डिस्पोजल पर कितना रूपया आलू खरीदने के लिए रखा गया है?

चौ. भजन लाल: हैफेड ने दस हजार टन आलू प्रचेज करने का प्रोग्राम बनाया है।

श्री फतेह चन्द विज: क्या मंखी महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि 19 तारीख से लेकर जब से खरीद आरम्भ की गई है, अब तक कितना आलू खरीदा जा चुका है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मौसम खराब होने की वजह से उतनी खरीद नहीं कर पाये जितनी की जानी चाहिए थी। दस जगहों पर आलू खरीदने के सैन्टर खोले हैं। नैफेड और

हैफेड काफी मात्रा में आलू प्रचेज कर रही है। इस वक्त मेरे पास आंकड़े नहीं हैं कि कितना आलू प्रचेज किया है। हैफेड और नैफेड के मार्किट में आ जाने के बाद आलू के काफी हाई रेट्स हो गये हैं।

चौ. रिजक राम: आलू की इस बार काफी पैदावार हुई है और इस वजह से उसके भाव भी काफी गिरे हैं, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार आलू को बाहर विदेश में भेजने का, यानी एक्सपोर्ट करने का कोई विचार रखती है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक एक्सपोर्ट करने का ताल्लुक है, भारत सरकार ने पहले ही इस बात की छूट दे रखी है कि कोई भी आदमी या कोई भी संस्ाि अगर आलू बाहर ले जाना चाहे यानी कि एक्सपोर्ट करना चाहे तो वह कर सकता है, लेकिन मैं चौ. रिजन राजी की जानकारी के लिये यह बता दूं कि किसी भी देश से आलू की डिमांड नहीं आती है। हमने भी पूरी कोशिश की है और भारत सरकार ने भी पूरी कोशिश की है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा आलू का भाव दिलवाया जाये लेकिन जैसा कि मैंने बताया है किसी भी कन्ट्री से आलू की डिमान्ड नहीं आयी है।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि हैफेड और नैफेड के मार्किट में आ जाने से आलू का रेट 15–20 रूपये से 35 रूपये क्विंटल हो गया है। क्या वे इसे

उचित मूल्य समझते हैं? क्यों नहीं इस रेट को 50 रूप्ये तक ले जाने की कोशिश की गयी?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सरकार की तो इस बात की पूरी कोशिश है कि किसान का आलू 50 रूपये क्विंटल से कम नहीं बिकना चाहिए। इसके लिये हमने भारत सरकार से बार–बार कहा है। इसके बारे में भारत सरकार ने भी अपनी पूरी–पूरी कोशिश की है। नैफेड और हैफेड के मार्किट में आ जाने के कारण ही आलू का भाव बढ़ा है।

चौ. लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे आलू परचेज सैंटर नारायणगए में भी खोलने का विचार करेंगे?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने अम्बाला जिले में अम्बाला, जगाधरी, बराड़ा और सढौरा में आलरेडी चार सैंटर्ज खोल रखे हैं।

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, यहां पर कोल्ड स्टोरेज का जिक्र आया। क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस बार आलू की काफी उपज हुई है, नये कोल्ड स्टोरेज बनाने का विचार रखती ळै ताकि किसानों को आलू कोल्ड स्टोरेज में रखने में आसानी हो?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हैफेड का एक कोल्ड स्टोर तरावड़ी में लगा हुआ है। उसके अलावा अगर कोई प्राईवेट

आदमी कोल्ड स्टोर लगाना चाहे तो सरकार उसको सारी सहूलियत देने के लिए तैयार हे जैसे बिजली, ईटें सीमेंट इत्यादि की। जो भी लगाना चाहे लगाये, हम उसकी पूरी मदद करैंगे।

श्रीमती शान्ति देवी: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपकी मार्फत यह जानना चाहूंगी कि गन्नौर का इलाका एक ऐसा इलाका है, जहां पर कि आलू बहुत ज्यादा पैदा होता है और इस बारे हुआ भी है, क्या वहां पर आलू के लिये कोई परचेज सैंटर सैंटर खोलने की कृपा करेंगे।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, गन्नौर दिल्ली के बिल्कुल पास पड़ता है और दिल्ली में आलू की मार्किट काफी हद तक ठीक है। इसलिये वहां पर कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गयी हैं। अगर यह महसूस किया गया कि वहां पर आलू का भाव बहुत कम है और वहां के लोगों की यह मांग होगी तो हम वहां पर जरूर खोल देंगे।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से आपकी मार्फत यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने बताया है कि 15–20–25 रूपये से अब आलू का मूल्य 35 रूपये हो गया है। क्या सरकार इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का अन्दाजा लगाकर यह समझती है कि यह भाव ठीक है या कम है? अगर वह यह समझती है कि यह भाव कम है ओर इससे किसान को घाटा है तो क्या

वह जिस तरह से गन्ने वालों को सब्सीडाईज करती है, इनको भी सब्सीडाईज करने के लिये तैयार है?

चौ. भजन लाल: इसमें कोई दो राय नहीं कि आलू किसान के घर तकरीबन 40 रूपये क्विंटल पड़ता है। हमने इसीलिये बार–बार कोशिश की है कि उसको कम से कम 40 रूपये तक का मूल्य तो दिलायें और अब लगभग इतना मूल्य उसे मिल रहा है। उसे आलू का मूल्य लगभग उसकी कास्अ के बराबार ही मिल रहा है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमने भारम सरकार से भी इस बात की पूरी कोशिश की है कि उसे 50 रूपये तक का मूल्य तो कम से कम दिलायें। इसके लिये पिछले दिनों एक कोआप्रेटिव मिनिस्टर्ज कान्फ्रैंस दिल्ली में हुई थी। उसमें हमने मोहन धारिया साहब से भी यह कहा था कि आलू का भाव बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाये। उन्होंने यह वायदा किया था कि हम 5000 टन आलू खरीदेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने भी उनसे बातचीत की थी। इसके बाद नैफेड मार्किट में आयी जिसकी वजह से आलू का भाव अब 40 रूपये के करीब तो हो गया है। मैं यह समझता हूं कि इससे किसान को पूरा फायदा नहीं हो रहा है। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्हें सबसीडाईज किया जाये, इसके बारे में पोजीशन यह है कि इस समय तो कोई ऐसा विचार नहीं है क्योंकि आपको पता ही है कि सरकार की माली पोजीशन कैसी है। शायद हम अभी इसको सबसीडाईज नहीं कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष: आलू के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन भी एडमिट हुआ है जिसके बारे में मिनिस्टर महोदय ने अभी जववाब देना है। So we go to the next question.

तारांकित प्रश्न सं. 944

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, चौ. जगजीत सिंह पोहलू, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Grants for the construction of Chaupals

***973. Sh. Jai Narain Verma**: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the Government is providing grant for the construction of Chaupals for Backward Classes in the State; and

(b) if the reply to part (a) above be in affirmative, the number of Chaupals for Backward Classes which have been sanctioned during the current financial year to-date?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह): स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने जो परसों आश्वासन दिया था, उसे ध्यान में रखते हुए मैं यह उत्तर दे रहा हूं कि जहां से भी बैकवर्ड क्लासिज की तरफ

से चौपाल बनाने के लिये मांग आयेगी, वहां पर मैचिंग ग्रान्ट दी जायेगी।

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी ऐप्लीकेशन्ज बैकवर्ड क्लासिज के लोगों की तरफ से आयी हैं और कितने लोगों को यह मदद दी जा चुकी है?

श्री प्रीत सिंह: जैसे कि मैंने बताया है कि परसों ही यह ऐलान किया गया है। परसों से ही यह अश्योरैन्स लागू होती है। उसके बाद हमारे पास कोई ऐप्लीकेशन नहीं आयी है। अगर कोई ऐप्लीकेशन आयेगी तो उसके ऊपर हम विचार करेंगे।

चौ. लाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस गांव में हरिजनों के नाम से चौपाल बन चुकी है, और वहां पर बैकवर्ड जाति के बहुत ज्यादा लोग रहेते हैं, क्या वहां पर दूसरी चौपाल बनाने की इजाजत देंगे?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ चुका है।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने हाउस में यह कहा था कि गांव की भलाई के लिये कोई भी काम किया जाये, उसके लिये कोई भी संस्था जितना पैसा देगी हम सरकार की तरु से उतना पैसा देंगे। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष: इसका इस सवाल के कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मांगे राम गुप्ता: बिल्कुल सम्बन्ध है। उन्होंने यह कहा था कि कोई संस्था या कोई आदमी जितना पैसा गांव की भलाई के लिये देगी, हम उतना ही पैसा सरकार की तरफ से देंगे।

श्री अध्यक्ष: यह हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लिये चौपाले बनाने का सवाल है, किसी संस्था का सवाल नहीं है। .....

स्वामी अग्निवेश: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह तो ठीक है कि वे बैकवर्ड क्लासिज के लिये चौपालें बनाने के लिये भी उतनी ही ग्रान्ट देंगे, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पर हरिजन भाईयों ने मकानों में टूटी–फूटी चौपालें बना रखी हैं, क्या सरकार उन मकानों और जमीनों की कीमत लगाकर उसके बराबर की मैंचिंग ग्रान्ट देने पर विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष: यह तो मेरा ख्याल है रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लाग करने वाली बात आप चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्री महोदय ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो आगे बनायेंगे, उनको हम देंगे।

श्री प्रीत सिंह: उसके लिये हम रिपेयर के लिये पैसा देते हैं।

चौ. हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, मैं मी महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो गांव वालों को चौपालें बनाने में मदद दी जा रही है, क्या इसमें कोई फर्नीचर देने का भी इन्तजाम करेंगे?

श्री प्रीत सिंह: ऐसा कोई विचार नहीं है।

Thermal Plant at Jagadhri?Yamunanagar

***999. Dr. Brij Mohan Gupta**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up a Thermal Plant at Jagadhri/Yamunanagar; and

(b) if so, the time by which the process of setting up the said Thermal Plant is likely to be taken in hand by the Haryana State Electricity Board?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां।

(ख) आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने पर और प्रौजैक्ट के लिये धन राशि की उपलब्धि पर कार्य हाथ में ले लिया जायेगा।

10.00 बजे

डा. बृज मोहन गुप्ता: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने मेरे सवाल के पार्ट बी के उत्तर में बताया है कि जब क्लीयरेंस हो जाएगी और फंड जा जाएंगे तो काम शुरू कर दिया जाएगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कब तक उम्मीद है कि इस काम के लिए क्लीयरैंस मिल जाएगी और फंड मिल जाएंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिसम्बर, 1977 में इलेक्ट्रिसिटी अथौरिटीज को भेज दी गई थी और कोशिश की जा रही है कि क्लीयरेंस बहुत जल्दी मिल जाए।

चौ. वीरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से फरीदाबाद के प्लांट की मैंटीनेंस बहल एंड कम्पनी से 14 लाख रूपया देकर करवाई जा रही है क्या उसी तरह से जगाधरी के थर्मल प्लान्ट की मैंटीनेंस भी कराइ जाएगी क्योंकि हमारे इंजीनियर तो इस मैंटीनेंस के काम को ठीक प्रकार से करने में कम्पीटेंट नहीं हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: जब थर्मल प्लान्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो सोच लेंगे।

चौ. शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जगाधीर/यमुनानगर के थर्मल प्लान्ट पर काम कब शुरू हुआ था और कब तक पूरा हो जाएगा क्योंकि इस पर पहले भी काफी चर्चा चली थी?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, चर्चा का तो मुझे पता नहीं है। इस सरकार ने पहली बार प्रोजैक्ट रिपोर्ट भेजी है। इससे पहले प्रौजैक्ट रिपोर्ट नहीं भेजी थी, जनता सरकार ने ही प्रोजैक्ट रिपोर्ट भेजी है।

डा. बृज मोहन गुप्ता: स्पीकर साहब, इस प्रोजैक्ट में बहुत बड़ा एरिया और काफी गांव इन्वाल्वड हैं–

श्री अध्यक्ष: गांवों के इन्वाल्व होने से क्या आपका मतलब है कि उन गांवों की जमीन ली गई है?

डा. बृज मोहन गुप्ता: जी हां। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों या देहातों की जमीन ऐक्वायर की गई है उनके दबाव में आकर इस प्रोजैक्ट को स्थगित करने का तो सरकार का कोई विचार नहीं है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इस थर्मल प्लांट के लिए केवल एक हजार एकड़ जमीन ऐक्वायर करनी है और कई गांव इसमें इन्वाल्वड हैं और मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है कि दबाव में आकर इस प्रोजैक्ट को स्थगित कर दिया जाए। अभी क्लीयरेंस नहीं मिली है।

चौ. संत कंवर: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि थर्मल प्लांट के लिए जिन लोगों की जमीन ऐक्वायर की गई क्या उनके पढ़े–लिखे बच्चों को नौकरी देने के लिए सीट रिजर्व की जाएंगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह तो ऐसी बात हो रही है कि गांव बसा नहीं और मौड़े पहले आ गए।

Construction of Jail-building at Jind

***1023. Chaudhri Ram Kishan**: Will the Minister for Jails be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the existing Jail building at Jind has been declared unsafe for inmate by the P.W.D. and as such the prisoners from there are being sent to Jail at Bhiwani; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Jail building at Jind, if so, the time by which the aforesaid buiding is likely to be constructed ?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौ. शेर सिंह):

(क) हां।

(ख) हां जींद में एक नई जेल बनाने का प्रस्ताव है। जिसके लिये जगह का चुनाव किया जा रहा है। निधि का प्रबन्ध होने पर निर्माण का कार्य लोक निर्माण को सौंप दिया जाएगा।

चौ. राम किशन: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जेल की बिल्डिग कब बनाने का विचार है?

चौ. शेर सिंह: स्पीकर साहब, जवाब में यह बात दिया गया है कि इसके लिए जगह का प्रबन्ध किया जा रहा है।

चौ. जिले सिंह मलिक: स्पीकर साहब, जींद में बिल्डिंग ठीक न होने से जींद के कैदियों को भिवानी जाना पड़ता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जींद जेल की बिल्डिंग कब तक तैयार हो जाएगी?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

Vehicles involved in accidents

***1054. Chaudhri Shiv Ram Verma**: Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state-

(a) the number of vehicles involved in accidents during the calender year 1978 on G.T. Road falling in the jurisdiction of Haryana State;

(b) the number of vehicles involved in accidents during the period from Ist October to 31st December, 1978;

(c) whether in view of the increasing number of accidents as referred to in parts(a) and (b) above the Government has taken any steps to approach the Central Government to take immediate steps for widening the G.T. Road and dividing it into two portions for making separate one way traffic road; and

(d) the time by which the results of the steps as referred to in part (c) above are expected together with the details thereof ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) सूचना निम्न प्रकार से है:–

समय	कलैण्डर वर्श 1978 में हरियाणा राजय के अन्तर्गत जी.टी. रोड पर दुर्घटनाओं में लिप्त गाड़ियों की संख्या।
1.1.78 से 31.12.78 तक	336

(ख)	समय	1.10.78 से 31.12.78 तक हुई दुर्घटनाओं में लिप्त गाड़ियों की संख्या।
	1.10.78 से 31.12.78 तक	113

(ग) हां। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अनुमान भारत सरकार के विचारधीन है।

(घ) इस संबंध में कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती क्योंकि इस कार्य की प्रगति भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तथा दिये गये धन पर निर्भर करती है।

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, आज से चार–पांच साल पहले भी मैंने यही सवाल किया था और उस वक्त मुझे जवाब मिला था कि अगले फाईन ईयर प्लान में जी.टी. रोड फोर लेन रोड बन जाएगी। अब भी यह कहा जा रहा है कि शीघ्र बन जाएगी। इस काम के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं बता रहे हैं। पहले भी शीघ्र कहते थे, अब भी कहते हैं कि शीघ्र बन जाएगी। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि शीघ्र का अर्थ क्या है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, चार–पांच साल पहले चौधरी साहब तो थे लेकिन बदकिस्मती से मैं नहीं था। लेकिन दिसम्बर, 1978 में हमने पहले फेज का ऐस्औमेंट बनाकर भेज दिया था। ज्यों ही गवर्नमैंट आफ इंडिया से ऐस्टीमेंट मन्जूर हो जाएगा और पैसा आ जाएगा तो काम शुरू कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: वर्मा जी का यह बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल में सब माननीय सदस्य मानेंगे कि जी.टी. रोड पर इतने ऐक्सीडेन्टस होते हैं कि अगर डेली ऐक्सीडेंटस का लौस निकाला जाए तो लाखों रूपए का नुक्सान होता है।

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): स्पीकर साहब, बहुत जल्दी काम शुरू हो रहा है। गवर्नमैंट आफ इंडिया की सैंक्शन जल्दी ही आ जाएगी।

चौ. वीरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मारमंडा का जो पुल जी.टी. रोड पर बन रहा है उस पुल का निर्माण रोड की वाइडनिंग को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है या पहले प्लान के अनुसार किया जा रहा है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: वाइडनिंग को ध्यान में रखते हुए पुल का निर्माण किया जा रहा है।

श्री बलदेव तायल: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब तक यह सड़क फोर लेन नहीं बन जाती तब तक वाहनों की स्पीड लिमिट पर कोई चैक रखने के बारे में विचार करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, सरकार की तरफ से ट्रैफिक रूल्ज के बारे में समय समय पर शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है, प्रोपेगन्डा किया जाता है, पब्लिसिटी की जाती है और स्पीड पर जितना भी नियन्त्रण रखा जा सकता है उतना रखा जाता है।

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब, मेरा प्रश्न यह था कि कानून के द्वारा कोई गति सीमा निर्धारित करने पर कया सरकार कोई विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: क्या इस समय कोई गति सीमा निर्धारित नहीं है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इस वक्त 65 कि.मी. प्रति घंटे की सीमा निर्धारित है।

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब, गांवों या देहातों के नजदीक तो गति सीमा निर्धारित है लेकिन जनरली हाई वे पर कानूनी तौर पर कोई गति सीमा निर्धारित नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक फोर लेन नहीं बनती तब तक हाई वे पर कानूनी तौर पर कोई गति सीमा निर्धारित करें। स्पीकर साहब, भारत सरकार का इससे कोइ सम्बन्ध नहीं है। हरियाणा सरकार का यह मामला है। हरियाणा सरकार इस मामले में स्वयं कदम उठाकर गति सीमा निर्धारित कर सकती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इस मामले में चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब से और श्री लछमन सिंह जी ने सलाह करती पड़ेगी और उनसे बाद ही कोई फेसला किया जा सकता है।17

Mr. Speaker: I think, it is a very good suggestion and deserves the consideration of the Government.

श्रीमती शान्ति देवी: स्पीकर साहब, आम तौर पर ऐसा होता है कि ड्राईवर ऐक्सीडेन्ट करके भाग जाते हैं और बेचारे जख्मी आदमी को उसके हालल पर छोड़कर चले जाते हैं ओर

अपनी अगाऊ जमानत करा लेते हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि ड्राईवर अपनी अगाऊ जमानत न करा सकें?

श्री वीरेन्द्र सिंह: जो जुर्म काबिले जमानत हैं उनमे ंतो अवश्य जमानत होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐन्टीसिनेटरी बेल का जो प्रोविजन हैं उस प्रोविजन के हिसाब से ही बेल होती है।

श्री फतेह चन्द विज: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या पानीपत में जी.टी. रोड पर बाई–पास की कोई स्कीम मन्जूर होकर आइ है और अगर आई है तो बाई–पास कब तक बन जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, पहले यह महकमा मेरे पास था। अब मुझे पता नहीं है क्योंकि अब यह महकमा श्री लछमन सिंह के पास है। अगर वे इस पर कुछ रोशनी डालना चाहें तो डाल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर अगर इसका अलग से नोटिस देंगे तो जरूर जवाब मिलेगा।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, सवाल का जवाब साफ तौर पर आना चाहिए कभी मिनिस्टर साहब यह कह देते हैं कि यह महकमा उनके पास है, दूसरे कह देते हैं कि यह महकमा उनके पास है। ये गोल मोल कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाई वे पर जो ट्रक चलते हैं उनके आगे लिखा होता है 'लोक वाहन' लेकिन वे तो लोक हल्या वाहन हैं कयोंकि उनको चलाने वाले ड्राईवर शराब पीकर चलाते हैं और एक्सीडेन्ट करते हैं। इसकी रोकथाम के लिये हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। सड़को पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की दुगर्ति के पोस्टर वगैरह भी लगाते हुए हैं ताकि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले इससे शिक्षा लें। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इसके अलावा सरकार पुलिस द्वारा इन लोगों को चैक करने का विचार रखती है ताकि ऐसे वाक्यात आगे से न हो सकें?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौ. शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने एक बात कही कि सड़कों पर शराब पीकर गाड़ी वालों के फोटो लगे हुए हैं, लेकिन शराब पीने के बाद ड्राईवर फोटो देखता कहां है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह सड़क चार रास्तों की बन गई तो जो इस सड़क के किनारों पर गांव बसते हैं उन गांव वालों को अपने पशु वगैरह ले जाने में काफी कठिनाई होगी। तो क्या आबादी के पास सड़क के ऊपर सरकार पुल बनाने का भी विचार रखती है ताकि लोगों को अपने पशु ले जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो?

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, ये तो यू ही खामखा चिंता कर रहें हैं अब तो होस्टल वगैरह में भी शराब पीने की छूट हो गई है। (हंसी एवं शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, चौ. शिवराम वर्मा जी ने अच्छा सुझाव दिया है जब सड़क को चौड़ा किया जाएगा तो उस वक्त इस बात पर भी गौर किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: इस मसले को इस हाऊस में बड़े लाईट मूड में टेक–आप किया जा रहा है लेकिन यह सैकड़ों आदमियों की जिन्दगी और मौत का सवाल है और जिसके कारण लाखों रूपये का नुक्सान हो रहा है। मैं मंत्री महोदय को रिक्वैस्ट करूंगा कि वे इसको सीरियसली लेकर जल्द से जल्द इसका इलाज सोचें।

Adult Education Scheme

***1073. Rao Ram Narain**: Will the Minister for Education be pleased t state-

(a) whether it is a fact that Adult Education Scheme has not been enforced in Nahar block of Tehsil Jhajjar, Distt. Rohtak, if so, the reasons therefor;

(b) whether it is a fact that one teacher is provided for 50 boys in the block of Salhawas of Tehsil Jhajjar, Distt. Rohtak; and

(c) the number of boys in each other blocks of Distt. Rohtak for which one teacher has been provided?

शिक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(क) जीं हां। भारत सरकार की हिदायतो अनुसार राश्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्य{म तीन विकास खण्डों के सघन क्षेत्र में चलाया जा रहा है तथा जिला रोहतक में बेरी, सालहावास व झज्जर विकास खण्डों को उसके लिये चुना गया है।

(ख) जी नहीं। जिला रोहतक में प्राईमरी स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र के लिये 30 लड़कों का नार्म निर्धारित किया गया है तथा एक केन्द्र में एक अनुदेशक लगाया गया है।

(ग) जिला रोहतक के झज्जर बेरी तथा सालहावास खण्डों में प्रति अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र के लिये 30 लड़कों का ही नाम लागू है।

राव राम नारायण: अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने सवाल के पार्ट 'बी' में यह पूछा था कि सालहावास ब्लाक में 50 लड़कों पर एक टीचर प्रोवाईड किया गया है जबकि इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि हम 30 लड़कों पर एक टीचर लगाते है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि साहलावास ब्लाक में 50

लड़के हैं क्या वहां पर एक से ज्यादा टीचर प्रोवाईड करने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है?

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारा नार्म 30 का है अगर दस पांच की संख्या बढ़ जाए तो कोइ बात नहीं लेकिन जब 30 से बएकर 60 की संख्या हो जाती है तक हम दूसरा टीचर प्रोवाइड कर देते है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, इन प्रौढ़ केन्द्रों में जो लोग पढ़ते हैं क्या उनसे कोई फीस वगैरह भी चार्ज की जाती है?

श्री हीरा लाल आर्य: नहीं, उनसे किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती बल्कि उन लोगों को सलेबस वगैरह तथा अन्य प्रकार के साधनों की उपलब्धि कराई जाती है।

चौ. शकरूल्ला: स्पीकर सहाब, हरियाणा में इस वक्त मसलमानों की तादाद कोई चार पांच लाख के करीब है और सरकार की तरफ से उर्दू की तालीम को कोई इन्तजाम नहीं है क्या सरकार हरियाणा में उर्दू की तालीम को बढ़ावा देने का विचार रखती है क्योंकि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री महोदय नूह के हल्के में गये थे तो उन्होंने वहां पर कहा था कि जो मस्जिदों के मौलवी हैं, उनको उर्दू की तालीम के लिये टीचरों के रूप में लगा दिया जाएगा। क्या सरकार इस तरफ जल्दी ही कोई कदम उठाने का विचार रखती है ओर इस अडल्ट एजुकेशन स्कीम में उर्दू की तालीम का भी कोई प्रबन्ध किया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: इनका मतलब है कि अडल्ट एजुकेशन में उर्दु पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाएगा या नहीं?

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, वैसे इस सवाल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर माननीय सदस्य ऐसा कोई सुझाव देंगे और उस पर अगर सरकार ने आवश्यकता समझी तो विचार किया जाएगा।

चौ. सरदार खां: अध्यक्ष महोदय, अडल्ट एजुकेशन सैन्टर खोलते वक्त कई ब्लाकों को इग्नोर किया गया है, छोड़ दिया गया है तो मैं मी महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त ये अडल्ट एजुकेशन सैन्टर खोले गए थे, उस वक्त इनके खोलने का क्या क्राईटेरिया था और जिन ब्लाकों को छोड़ दिया गया है, उनको छोडने के क्या कारण हैं?

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार की पालिसी यह है कि जहां तीन–तीन, चार–चार ब्लाक साथ लगते हो वहां पर ये केन्द्र खोले जाएं और उसी क्राटेइरिया के हिसाब से ये केन्द्र खाले गये हैं।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह जो अडल्ट एजुकेशन सेन्टर की स्कीम है, इसके तहत गवर्नमैट आफ इन्डिया से सरकार को काफी पैसा मिला है और सरकार ने आगे कुछेक आर्गेनाईजेशनज को इस स्कीम के तहत पैसा भी दिया हैं। तो

क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि हरियाणा में कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, जिन को यह पैसा दिया गया है?

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस सवाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी मैं आनरेबल मैम्बर की जानकारी के लिये बता देता हं कि चार पांच ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी प्रान्तीय सरकार ने इस काम के लिये सिफारिश की थी। वे हैं –

(1) सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सैन्टर खोड़ी, जिला महेन्द्रगढ़।

(2) जनता कल्याण समिति, रेवाड़ीं

(3) गांधी पीस फाउन्डेशन सैन्टर, अम्बाला छावनी।

(4) युवा चेतना समिति नेहयरू युवक केन्द्र कैम्पस, करनाल।

(5) जनता कल्याण सभा, गोहाना।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: अध्यक्ष, महोदयख मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि जो इन्होंने हमरे महेन्द्रगढ़ जिला में सैन्टर निर्धारित किये हैं उनको यदि हम चेन्ज करवाना चाहें तो क्या सरकार इन मैन्टर्ज को चेन्ज कर देगी?

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, वैसे परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता तो प्रतीत नहीं होती अगर मेरी बहन बावल के बारे में कुछ करवाना चाहती है तो हम अगले साल उसको अपनी लिस्ट में शामिल कर लेंगे।

चौ. संत कंवर: मैं शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रो के अन्दर जो टीचर्ज लगाये जा रहे हैं उनको लगाने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं को दी गई है क्या वे संस्थाएं ठीक टीचर्ज लगा रही हैं या नहीं? इसके बादद मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जो गांवों के पढ़े–लिखे बेरोजगार नौजवान है उनको इन केन्द्रो में अध्यापक क्यों न लगा दिया जाए?

श्री हीरा नन्द आर्य: जो बेरोजगार लोग हहै उन्हीं का लगाया जाता है।

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अध्यापकों को यह जो पांच संस्थाएं बताई हैं इनके माध्यम से लगाया जाता है या सरकार खुद लगाती है?

श्री हीरा नन्द आर्य: जो केन्द्र सरका खाले रही है उनमें अध्यापकों को सरकार की तरफ से ही लगाया जाता है।

श्री जगन नाथ: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि गांवों के अन्दर बहुत से बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं क्योंकि या तो उनके घरवालों के पास पढ़ाने के लिये साधन हीं होते या कोई और

मजबूरी हो जाती हैं, तो क्या उनको एडल्ट होने के बाद पढ़ाया जाएगा या कोई और प्रबन्ध किया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, वैसे तो सारे देश में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य{म चल रहा है लेकिन एक हरियाणा प्रदेश ही ऐसा है जहां 9 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए भी अनौपचारिक शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है और इस साल इसके लिये 40 लाख रूप्ये की बजट में प्रोवीजन की गई है। इस प्रकार के जो प्रौढ़ केन्द्र हैं उनमें जो अध्यापक लगाये जाते थे उनको 50/– रूप्ये महीना वेतन मिलता था और इतने कम वेतन पर कोई टीचर मिलता नहीं था इसलिए सरकार ने अब यह फेसला लिया है कि प्राईमरी स्तर तक के टीचर को 100/– रूपये दिये जाएंगे और मिडल स्तर के टीचर को 150 रूपये महीना दिया जाएगा।

डा. मृज मोहन गुप्ता: स्पीकर साहब, इस सवाल पर काफी सप्लीमेन्टरीज हो चुकी हैं ओर टाईम कम रहता है इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इससे अपना सवाल जो स्कूलों के बारे में है, को ले लिया जाए।

Mr. Speaker: I would request the hon. Member to let me do my job.

श्री सुरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिन जन–कल्याण संस्थाओं का नाम यहां पर लिया गया है वे संस्थाएं कितनी पुरानी हैं, ये कब बनी थीं ओर इनका संविधान क्या है?

श्री अध्यक्ष: इसके लिये तो अलग से नोटिस की जरूरत है लेकिन अगर मंत्री जी जवाब देना चाहें तो खुशी से दे सकते है।

श्री हीरा चन्द आर्य: मैम्बर साहब, इसके लिये अलग से नोटिस दे दें, सारी सूचना दे दी जाएगी।

श्री मांगे राम गुप्ता: क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि हरियाणा में बहुत से राजनीतिक नेात ऐसे हैं जो बिलकुल अनपढ़ हैं तो क्या इस प्रौढ़ शिक्षा स्कीम के तहत उनको भी पढ़ाने का कोई विचार है?

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं है।

चौ. उदय सिंह दलालय: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि तालीम के अच्छे प्रबन्ध के लिये हय जो इतना रूप्या लगाया जा रहा है क्या इसके साथ उन स्कूलों की बिल्डिगों की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है जिनकी हालत बहुत खराब है? अगर उन बिल्डिंगों की मुरम्मत न हुई तो कहीं ऐसा न हो कि बच्चे पढ़ते–पढ़ते उनके नीचे दब जाएं?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

चौ. राम किशन: स्पीकर साहब, मेरे विचार में इन प्रौढ केन्द्रों से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है तो क्या इनको बन्द करने पर सरकार विचार करेंगी?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

Distribution of surplus land

***912. Swami Adityavesh**: Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) the number of landless persons in the State who were given surplus land during the period from 4th July, 1977 to 4th July, 1978;

(b) the constituency-wise tolal acreage of land declared surplus in the State; and

(c) the constituency-wise number of landless persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes to whom the land as referred to in part (b) above was given ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह):

(ए) 3005,

(बी तथा सी) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरतणिका

क्रम संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	कुल सरप्लस घोशित हुई भूमि	अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी श्रेणी के उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें कि सरप्लस भूमि अलाट की गई है	
			टनुसूचित जातियां	पिछड़ी श्रेणियां
1	2	3	4	5
1	रोहतक	1722	58	8
2	कलानौर	4892	39	9
3	महम	4528	28	4
4	किलोई	2431	16	9
5	हसनगढ़	726	112	21
6	झज्जर	1338	93	19
7	सहलावास	837	21	8
8	बेरी	137	13	4

9	बहादुगढ़	40	9	4
10	बादली	160	4	3
11	सेनीपत	865	22	9
12	कैलाना	1060	61	1
13	रोहट	1143	41	17
14	राई	2245	84	25
15	गेहाना	3506	139	68
16	बडौदा	3295	186	76
17	पुण्डरी	2731	375	34
18	पाई	2843	366	41
19	कैथल	1717	242	38
20	पेहोवा	1716	60	13
21	गुहला	2710	123	30
22	थानेसर	3759	207	72
23	शाहबाद	4158	341	107

24	बबैन	3553	348	85
25	क्रनाल	4620	56	32
26	जुण्डला	8382	155	91
27	घरोण्डा	4572	150	113
28	नीलोखेड़ी	5116	114	78
29	इन्द्री	4260	58	40
30	असन्ध	5079	219	122
31	पनीपत	210	9	
32	स्मालखा	3810	58	47
33	नौलथा	5910	120	80
34	अम्बाला सिटी	173	9	11
35	मुलाना	615	66	68
36	नग्गल	774	55	45
37	सढौरा	1612	224	88
38	नारायणगढ़	1002	159	40

39	कालका	294	26	15
40	जगाधरी	1399	234	189
41	छदरौला	2002	510	170
42	यमुनानगर	800	65	56
43	दादरी	263	227	78
44	बाढड़ा	2278	93	31
45	लोहारू	2096	244	75
46	तोशाम	8056	129	45
47	बवानी खेड़ा	8544	89	31
48	मुण्ढाल	5870	72	12
49	सिवानी	3231	21	5
50	रोड़ी	23716	201	121
51	दारबा कलां	20525	256	123
52	सिरसा	22497	97	69
53	ऐलनाबाद	19530	239	121

54	डबवाली	20992	212	105
55	नारनौल	138		
56	अटेली			
57	महेन्द्रगढ़	181	7	3
58	रिवाडी	3179	133	6
59	बावल	2853	85	3
60	जाटूसाना	2729	91	2
61	बल्लबगढ़	1587	62	16
62	फरीदाबाद	140	1	
63	मेवाला महाराजपुर	752		
64	पलवल	2196	58	21
65	हसनपुर	2208	85	33
66	हथीन	1804	108	26
67	नूह	1037	78	28
68	ताबडू	1323	92	7

69	फिरोजपुर झिरका	891	76	43
70	गुड़गांव	1156	49	13
71	सोहना	1157	35	9
72	पटौदी	1225	51246	13
73	जीन्द	1292	20	70
74	जुलाना	448		5
75	राजौंद	3673	700	144
76	सफीदों	1553	271	132
77	नरवाना	1225	106	50
78	कलायत	1980	336	51
79	उचाना	1776	239	65
80	हिसार	419		
81	आदमपुर	6599	89	187
82	गिरही	7859	152	218
83	बरवाला	4550	190	75

84	टोहाना	3963	51	108
85	भट्टू	7637	94	128
86	रतिया	10920	133	27
87	फतेहाबाद	11753	127	22
88	हांसी	5813	195	90
89	नारनौंद	5522	60	25
90	दाबड़ा	7245	113	
	जोड़	349143	11288	4442

स्वामी आदित्यवेश: स्पीकर साहब, सारे हरियाणा में 349143 एकड़ जमीन सरप्लस है। इसमें से 3005 आदमियों को जमीन दी गई है तो मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी जमीन शेश व्यक्तियों को कब तक दे दी जाएगी और इसके वितरण में क्या कठिनाई है?

श्री प्रीत सिंह: स्पीकर सहाब, बाकी जमीन भी बहुत जल्द बांट दी जाएगी।

चौ. शिव राम वर्मा: जिन लैड–लैस आदमियों को जमीन जोतने का काम नहीं आजा उनकी बजाये अगर यह जमीन

उन आदमियों काो दी जाए जिनके पास पहले बहुत कम जमीन है और वे उस पर काम कर रहे हैं तो वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे।

श्री प्रीत सिंह: जिन लोगों को सरप्लस जमीन दी जाती है वह सीलिंग एक्ट के तहत ही जाती है। उसके तहत कैटेग्रीज बनी हुई हैं और उसी प्रेफरेंस से जमीन बांटी जाती है।

चौ. राम किशन: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिला जीन्द के अन्दर जिन लोगों को जमीन दी जानी थी उनको नहीं दी गई और पोजैशन देने से पहले उसे बेच दिया गया। अगर मैं कोई ऐसा इंस्टांस बताऊ तो क्या सरकार इन्कवायरी करवायेगी?

श्री प्रीत सिंह: जिला जीन्द के अन्दर पहले पैप्सू टेनैन्सी एक्ट लागू था। हर एक्ट के तहत अलग अलग रूल बने हुए होते हैं फिर भी अगर किसी ने रूल्ज की उल्लघंना की है वह हमारे नोटिस में लाया जाये, हम उसकी इन्क्वारी करवायेंगे और एक्शन लेंगे।

श्री रघुनाथ गोयल: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिला कुरूक्षेत्र के अन्दर धर्मपुरा नाम के स्थान पर लोगों को कुछ जमीन मिलनी थी और कुछ लोगों ने वहां सरप्लस जमीन पर अपने मकान बना भी लिये है तो क्या उनको वही जमीन अलाट कर दी जाएगी?

श्री अध्यक्ष: अगर कोई पर्टिकुलर केस हो तो उसके बारे में आप मंत्री जी से अलग से बात कर लें।

चौ. जिले सिंह मलिक: जाो सरप्लस जमीन हरिजनों को दी जानी थी, वह बेच दी गई। क्या सरकार पता करवाएगी कि क्यों बेच दी गई??

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

चौ. ईश्वर सिंह: स्पीकर साहब, सीलिंग एक्ट के तहत जो जमीन सरप्लस करार दी गई है उसको आगे बांटने के संबंध में इम्पलीमैटेशन नहीं हो रही है तो क्या सरकार ऐसा उपाय करेगी कि पहले सरकार उस जमीन को अपने कब्जे में ले ले और बाद में उसे टेनैन्टस में बांट दे?

श्री प्रीत सिंह: ऐसी कोई स्कीम विचारधीन नहीं है।

Mr. Speaker: The Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Appointments of Legal Advisors

***1059. Shri Shamsher Singhn**: Will the Minister for Excise and Taxation be plesed to stat whether it is a fact that legal advisors were appointed to different Corporations,

Boards and Banks under the advice of the Government in the State; if so, the criteria followed for the said apponitments?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौ. शेर सिंह): जी हां, वकील की सामान्य ख्याति, कानून का ज्ञान, न्यायालयों में कार्यक्षमता और उसके बार के अनुभव को ध्यान में रखा जाता है।

Increase in flow of water in sandy area of Distt. Sirsa

***892. Chaudhri Jagdish Kumar Beniwal**: Will the minister for Irrigation and power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the quantum of flow of water from 2.4 cuses to 3.6 per thousands acres in the sandy area of Sirsa district?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): नहीं।

Mis-utilisation of Government grants given to Schools

***986. Shri Devender Sharma :** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the State Government grants given to Private Schools/Colleges have been mis-utilised by certain insititutions, if so, the names thereof together witt the amount mis-appropriated;

(b) the action taken against such institutions; and

(c) the steps the State Government proposes to take to avoid recurrence of such irregularities in future ?

शिक्षा मंत्री (श्री हीरानन्द आर्य):

(ए) नहीं।

(बी) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(सी) लागू नहीं होता।

Criteria for admission in Kurukshetra University for M.Phil Classes

***945. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo**: Will the Minister for Education be pleased to state whether it is in the knowledge of the Governement that the students who had high percentage of marks were ignored for the admission in the M.Phil, in the subjects of History and Political Science by the Kurukshetra University during the years 1977-78 and 1978-79, if so, the grounds of the rejection of their applications and the action taken by the Government against the defaulting authorities of the University ?

Education Minister (Shri Hira Nand Arya): Yes. Admissions to M.Phil. Courses in this University are made by the Department M.Phil. Committees in accordance with the

rules and regulations laid down for the purpose by the Admission Committee duly consituted under the University Ordinance. According to the guidelines given by the University Grants Commission for the introduction of M.Phil. Courses, Admissions to M.Phil. Programme are to be made on the basis of satisfactory performance at the Master's degree examination and test to be conducted by the department concerned. As such, mere percentage of marks in the M.A. Examination is not the sole criteria for admission to this Course. Admissions have been made on merit in accordance with the University Rules, and in some Departments, candidates with higher percentage in M.A./M.Sc. etc. could not get admission because of their poorer performance in written test/interview or because the other candidates were entitled to some weightage for their placement in the merit lists. The question of taking action against any authority does not arise.

Resolution for Closure of liquor shops in the villages

***975. Shri Jai Narain Verma**: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the total number of Panchyaats which have sent their resolutions for the closure of liquor shops in their villages during the financial years 1977-78 and 1978-79 to date;

(b) the total number of liquor shops which have been closed during 1977-78 and 1978-79; and

(c) whether the prohibition policy is being implemented satisfactorily?

Excise and Taxation Minister (Chaudhri Sher Singh) :

(a)	(i)	1977-78	188
	(ii)	1978-79	22
(b)	(i)	1977-78	2
	(ii)	1978-79	271
(c)	Yes.		

Qualified Medical Doctors in Governement High Schools

***998. Dr. Brij Mohan Gupta**: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the number of Government High Schools in the State where qualified medical doctors have been engaged; and

(b) whether there is a proper medical box and a proper small medical room in each such school?

शिक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(ए) 193

(बी) सभी स्कूलों में नहीं।

Mini Secretariat at Jind

***1024. Chaudhri Ram Kishan**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a mini-Secretariat at Jind; if so, the time by which it is likely to be constructed?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह): जी हां, लघु सचिवायल जीन्द, के निर्माण हेतु भूमि अभिग्रहण की जा चुकी है। लघु सचिवालय के निर्माण का कार्य वर्श 1979–80 में शुरू करने की सम्भावना है जिसके लि 20 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित है।

Complaints against Bus-Drivers and Conductors of the Haryana Roadways

***1055. Chaudhri Shiv Ram Verma**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of complaints received against Bus-Drivers and Conductors regarding corruption and misbehavior with the public during the period from 1st July, 1978 to 31st December, 1978;

(b) the number of complaints out of those regerred to in part(a) above on which the action had been taken so far; and

(c) the actoin taken on complaint dated 27-7-78 regarding misbehavior of the driver and conductor of bus No. HRG-7415 of Gurgoan Depot?

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल):

(क) 499

(ख) 379

(ग) चालक और परिचालक को निलम्बित किया गया था और उनके विरूद्ध नियमित विभागीय जांच पड़ताल के उपरान्त चालक की एक वार्शिक वृद्धि संचित रूप से बन्द कर दी गई और परिचालक को भविश्य में सतर्क रहने के लिए कड़ी चेतावनी दी गई ।

Child Welfare Fund

***1061 Rao Ram Narain**: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any Child Welfare Fund in the Schools of Haryana;

(b) if so, the mannerr in which the said fund is being collected;

(c) whether it is a fact theat the entire amount so collected goes to the amalgamated Fund of the Education Department since Noverber, 1978;

(d) whether it is a fact that befor November, 1978, 50% Child Welfare Fund used to reamain with schools and 50% was passed on to D.E.O.s;

(e) whether any change of the policy as mentioned in part

(d) above has now been made, if so, the reasons therefor;

(f) the amount of the same fund at present in the Schools;

(g) the total amount in the amalgamated Fund of the Education Department ; and

(h) whether this fund has been used for the purpose other than the one for which it is meant?

शिक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(ए) जी हां।

(बी) पांच पैसे प्रति माह प्रति छात्र की दर से।

(सी) जी नहीं।

(डी) जी नहीं।

(ई) उपरोक्त (डी) को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

(एफ) शून्य

(जी) यह सूचना एकत्र करने मे ंजो समय तथा परिश्रम लगेगा वह सभवतः लाभ से कहीं अधिक होगा।

(एच) जी हां।

ध्यानाकर्शण सूचना–

खालें पक्के करने के लिए किसानों द्वारा व्यय सहन करने सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः मुझे री हर स्वरूप बूरा, एम.एल.ए. से खालें पक्के करने के लिए किसानों द्वारा दिये गये या दिये जा रहे 35 रूपये से 45 रूपये तक फी एकड़ के खर्च के बारे में एक ध्यान दिलाओं नोटिस यानी काल अटैन्शन मोशन मिला है। मैं इसको मंजूर करता हूं। आनरेबल मैम्बर इसको पढ़ दें। आई.पी.एम. साहब अगर आज ब्यान दे सकें तो दें और अगर वे टाईम मांगना चाहें तो टाईम मांग लें।

चौ. संत कंवरः स्पीकर साहब, एक मरेा प्रिविलेज मोशन था –

श्री अध्यक्षः उसे आज आपने दिया है। उसको एग्जामिन करके कल जवाब दूंगा।

स्वामी आदित्यवेशः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जो आजकल होस्टल में घटनाएं घटित हो रही हैं उस तरफ दिलाना चाहता हूं। –(विघ्न)–

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, आप इस बारे में मेरे से चैम्बर में मिलें।

चौ. हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण अत्यावश्यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार नालों को पक्का करने लगी है। यह ठीक है, इससे पर्याप्त जल की बचत होगी और पानी कम जाया होगा। किसानों को भी काफी राहत तथा सुविधा मिलेगी।

परन्तु नाले पक्के करने के लिए 35 रूपये से लेकर 45 रूपये प्रति एकड़ का व्यय किसानों द्वारा सहन किया जाएगा जो इतना अधिक है कि उनके लिए इस सहन करना कठिन हैं। इसके कारण किसानो में बेचैनी है और उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि वही स्थिति उत्पन्न हो गई है जो उस समय थी जब उनके लिए भू–राजस्व अदा करना कठिन था।

जबकि किसानों को इससे लाभ होगा। सिंचाई विभाग तथा मार्किटिंग बोर्ड को भी इससे बहुत लाभ होगा। सरकार को इसका 20 प्रतिशत व्यय सिंचाई विभाग पर तथा 20 प्रतिशत व्यय

मार्किटिंग बोर्ड पर डालना चाहिए तथा साढे 10 प्रतिशत के स्थान पर जिसमें मिडलमैन का लाभ भी शामिल है भागीदारों स ब्याज की वास्तविक दर अर्थात आधा प्रतिशत जोकि विश्व बैंक द्वारा ली जाती है ली जाए।

इस तरह 5 प्रतिशत व्यय का बोझ कम हो जाएगा। सरकार को चाहिए कि किसानों को सहायता आदि देकर व्यय से पूर्णतया मुक्त करे। वह चाहते है कि सरकार इस सब के दौरान इस बारे मे ंएक वक्तव्य दे तथा किसानों को राहत दे।

Irrigation and Power Minister (sh. Verender Singh): I will make a statement on the 16th March.

Mr. Speaker: I think on the 16th there is already one fixed. The Agriculture Minister is to give a reply to give a reply to a call Attention Motion already admitted. You may, therefore, do so on the next working day i.e. 19th March, 1979.

Sh Verender Singh: Alright, Sir.

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, मैं आपका एक विशेश बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कल परसों दोनों दिन करनाल जिले में ओले पड़े हैं। जिला करनाल में सैकड़ों गांवों की फसल तबाह हो गई। इन गांवों में वे गांव भी आते हैं जिनमें पिछले साल भी ओले पड़े थे और इस साल भी फसल तबाह हो गई है .....

श्री अध्यक्ष: पहले भी इस संबंध में एक काल अटैन्शन मोशन आया हुआ है। जहां जहां नुक्सान हुआ है, वह सब उसी काल अटैन्शन मोशन के कवर हो जायेगा।

चौ. शिव राम वर्मा: पिछले साल ओलों के नुक्सान होने के कारण से सौ रूपया प्रति एकड़ लोन तकावी दी गई थी। इस साल भी ओले पड़े हैं इसलिए पिछले साल का लोन माफ हो जाना चाहिए और इस साल भ तकावी माफ हो जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: जब काल अटैन्शन मोशन आयेगा तभी बोल लेना।

चौ. शिव राम वर्मा: क्या उस वक्त बोलने की आज्ञा देंगे?

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, पहले भी एक काल अटैन्शन मोशन आया था जिसके जवाब में श्री मूल चन्द जैन जी ने जवाब दिया था कि तीन सौ रूपये मुआवजा दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि फी एकड़ दिया जायेगा या फी परिवार?

श्री अध्यक्ष: इसके संबंध में लिखित में दीजिए, तभी कार्यवाही करेंगे।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सहाब, मैंने फ्लड रिलीज के बारे में आधे घंटे की चच्रा का नोटिस दिया था, उसका क्या बना?

श्री अध्यक्ष: मैं एग्जामिन करके उसका जवाब दूंगा।

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज बिजनैस एडवायजरी कमेटी ने हाउस के प्रोग्राम के ऊपर विचार करके अपनी दूसरी रिपोर्ट मे ंजो सिफारिशें की हैं वे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं।

"The Committee met at 12.00 Noon, on Wednesday, the 7the March, 1979, in the Chamber of the Speaker.

The Committee, after some discussion, recommended that the Business on the 8th and 9th March, 1979, 16th, 19th, 20th, 21st and 22nd March, 1979, be transacted by the Sabha as follows :-

Thursday, the 8th March, 1979 at 9.30 a.m.

1. Question Hour.
2. Presentation and adoption of the Second Report of the Business Advisory Committee.
3. Non-official Business (Bill and Resolution).

Friday, the 9th March, 1979 at 9.30 a.m.

1. Question Hour.
2. Presentation of Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege against Chaudhri Surrender Singh, M.L.A. for making misleading statement in the House, and

extension of time for making the final report upto 30the September, 1979.

3. Discussion and voting on Supplementary Estimates(Third Instalment) for the yerar 1978-79.

Saturday, the 10th March, 1979	Off-day.
Sunday, the 11th March, 1979	Holiday.
Monday, the 12th March, 1979	Off-day
Tuesday, the 13th March, 1979	Off-day
Wednesday, the 14th March, 1979	Holiday
Thursday, the 15th March, 1979	Off-day

Friday, the 16th March, 1979 at 2.00 p.m

1. Question Hour.

2. Appropriation Bill in respect of the Supplementary Estimates (Third Instalment) for the year 1978-79.

Saturday, the 17th March,	Off-day

1979.	
Sunday, the 18th March, 1979	Holiday

Monday, the 19th March, 1979 at 2.00 p.m.

1. Question Hour.

2. General Discussion on Budget for the year 1979-80.

Tuesday, the 20th March, 1979 at 9.30 a.m.

1. Question Hour.

2. Resumption of General Discussion on Budget for the year 1979-80.

Wednesday, the 21st March, 1979 at 9.30 a.m.

1. Question Hour.

2. Motion under rule 30 regarding suspension of Private Members' Business fixed for 22nd March, 1979 and transaction of Government Business.

3. Resumption of General Discussion on Budget for the year 1979-80.

Thursday, the 22nd March, 1979 at 9.30 a.m.

1. Question Hour.

2. Resumption of General Discussion on Budget for the year 1979-80 and reply by the Finance Minister thereon."

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशे स्वीकार करता है।

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speader: Question is –

That this House agrees with the recommindations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

This motion was carried

गैर सरकारी बिल –

दि हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिग्ज (अमैंडमैंट) – 1979

Mr. Speaker: Now, Sh. Har Swarup Bura may pleased move for leave to introduce the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 1979.

चौ. हर स्वरूप बूरा (मेहम): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा भूमि–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 1979, को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

Mr. Speaker: Motion moved –

That leave be granted to introduce the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 1979.

स्वामी अग्निवेश (पुंडरी): अध्यक्ष महोदय, हमारे योग्य सभी श्री हर स्वरूप बूरा जी जो बिल ला रहे हैं इसकी मूल भावना को हमें समझना पड़ेगा। सरप्लस जमीन उसकी निकलती है जिसकी 18 एकड़ से ज्यादा हो और सिंचाई के योग्य हो। बाकी 28 एकड़ की भी लिमिट है और 54 एकड़ भी है। अलग अलग कैटेगरी की जो सरप्लस जमीन निकले वह लैण्डलैस टेनैंटस के बीच में बांटी जाती है और उस जमीन को जब सरप्लस डिक्लेयर किया जाता है तो जो लैडण्लौर्ड हैं, जो मालिक हैं वे अपील करते हैं। इसलिए सरकार इस तरीके से जमीन की कटेगरी मुकरिर करे कि अदालतों में रोज रोज की मकदमेंबाजी न हो और लैण्डलैस को जमीन दी जा सके। सरकार ने यह कानून बनाया हुआ है कि ऐसी अपनी करने वाले

को इतनी ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। यदि हम इस चीज को उड़ा देंगे तो पहले से भी ज्यादा मुकदमेंबाजी होगी। इसलिए हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि किसी को अपील करने की कोई इजाजत ही न मिले। लैण्ड रीफार्मज का, लैण्ड सीलिंग का, सरप्लस जमीन संबंधी जो कानून है वह सारे का साधा संविधान को नवीं शैडयूल में डाल दिया जाए। आज केन्द्रीय सरकार भी इस बारे में स्वयं सोच रही है। यदि हमारी स्टेट गवर्नमैंट इस चीज की सिफारिश कर दे तो हरियाणा का सारे देश के अन्दर नाम होगा। लैण्डलैस लोगों की हिफाजत करने के लिए यह एक अच्छा काम होगा। लेकिन यदि हम यह ले करके इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अगर हम इसे पारित भी कर दें, तो भी सैन्ट्रल गवर्नमैंट इसकी इजाजत नहीं देगी। ऐसा करने से लोगों में मनमुटाव का वातारण जरूर बन जाएगा कि हरियाणा के अन्दर ये लोग लैन्ड रीफामज को लागू करना ही नहीं चाहते। जो काम उत्तर प्रदेश में हुआ, जो और कई प्रान्तों में होने जा रहा है यदि हम उसके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे तो हरियाणा में उससे प्रतिकूल वातावरण पैदा होगा इसलिए मेरी सारे सदन से और आप से गुजारिश है कि ऐसे बिल को इन्ट्रोडयूस करने की इजाजत न दें।

श्री अध्यक्ष: इस स्टेज पर जनरल डिबेट इस पर नहीं हो सकती। कोई साहेबान इसको अपोज करना चाहें, कर सकते

हैं और कोई इसके हक में बोलना चाहें वह बोल सकते हैं। उसके बाद वोटिंग होगी।

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): अध्यक्ष महोदय, मेरे लायक साथी चौ. हर स्वरूप बूरा जी ने हस बिल की इन्ट्रोडक्शन के लिये जो प्रस्ताव किया है उसके बारे में ऐसा मालूम होता है कि स्वामी जी को गलत फहमी है। वास्तव में जिन लोगों ने इस कानून के सम्बन्ध में अदालतों में मुकदमों की पैरवी की है या मुकदमों को देखा है वे जानते हैं कि धारा 18 के सब–क्लाज 7 और 9 को अगर रिपील कर दिया गया तो ये दोनों धाराएं मालिकों की मुखालफत की बजाय टेनैन्टस की मुखालफत बढ़ाएंगी। ओरीजिनल हरियाणा सींलिग ऑन लैन्ड होल्डिग की धारा 8 में प्रैसक्राइब्ड अथारिटी लिखा हुआ है अगर वह अथारिटी किसी लैन्ड ओनर की जमीन को सरप्लस से एग्जैम्पट करना चाहे तो वह एग्जैम्पट कर सकती है। तो हमारे हरियाणा में क्या हो रहा है कि पिछले दो या तीन साल से जो बड़े मालिक हैं जिनकी जमीन पुराने कानून के अधीन सरप्लस घोशित की जा चुकी है, वह इस नये कानूनी की धारा 8 का वास्ता दे कर प्रैसक्राइब्ड अथारटी को अर्जी दे देते हैं कि साहब यह जो जमीन है यह धारा 8 के बवर होती है इसलिये इस जमीन को सरप्लस होने से एग्जैम्पट किया जाए तो यह प्रैस्क्राइब्ड अथोरिटी उस मामले को गोलमोल करके उस जमीन को एग्जैम्पट कर देती है और वह सरप्लस से निकल जाती है

सरप्लस ने निकल कर अगर वह जमीन आलरेडी टेनैन्ट को अलाट होती है तो टेनैन्ट को उसका नोटिस भी नहीं जाता और उसकी जनमी ऐग्जेम्पट हो गई और एग्जैम्पट के मायने यह हो गए कि वह अलाटमैंट भी कैन्सिल हो गई। उस टेनैन्ट को जब पता लगता है कि उसकी अलाट हुई जमीन तो कैंसिल हो गई है तब वह भागता है और वह अपील करने की कोशिश करता है। अपनी में जब जाता है तो अपनी में यह सब क्लाज 7 और 9 उसके रास्ते में आती है और उसे टेनैन्ट को, जितनी जमीन अलाट हुई उसको लैण्ड टैक्स का 30 गुणा जमा करवाना पड़ता है तब जा करके उसको अपील का अधिकार होता है। तो मैं समझता हूं कि जिनको प्रैक्टीकल एक्सपीरियंस है उनको पता है कि इस कानून का किस तरीके से अमल हो रहा है। अगर चौ. हर स्वरूप बूरा जी की बात मान ली जाए तो मैं समझता हूं कि इससे टेनैन्टस के साथ–साथ लैण्ड ओनर्ज को भी फायदा होगा। अगर किसी की जमीन गलत तौर पर सरप्लस घोशित हुई है तो उसको यह अधिकार है कि वह उससे ऊपर के अधिकारी जैसे एस.डी.ओ. (सिविल) जो हमारे सब डिविजन में अफसर है उनको अपील करे। इस कानून के अन्दर उनको प्रैसक्राइब्ड अथारिटी बनाया हुआ है। वह जो फैसला करें उसके खिलाफ अपील कलैक्टर के यहां होती है और कलैक्टर के फैसले के खिलाफ अपनी कमिश्नर के यहां होती है तो अगर किसी मालिक का जमीन गलत तौर पर सब–डिविजनल अफसर सरप्लस करार दे देता है तो उसने क्या जुर्म किया। हर आदमी

को अपील करने का अधिकार है लेकिन अपील करते वक्त उसके ऊपर यह पाबन्दी है कि उसको 30 गुणा लैन्ड टैक्स का जमा करवाना पड़ेगा। एक एकड़ पर जहां तक मैं समझता हूं कम से कम 50 रूपये टैक्स है उससे ज्यादा भी हो सकता है तो 1500 रूपये फी एकड़ वह जमा करवाए अगर सिकी की 10 एकड़ जमीन सरप्लस करार दे दी गई तो इसका मायना यह हुआ कि उसको 15000 रूपये करा कर अपील करने का अधिकार मिलेगा तो यह सरासर ज्यादती है। कोई यह समझे कि इस कानून से बड़े मालिकों पर रोक लगा दी गई है यह भी गलत हैं। इस कानून की इस धारा से जिसको कि चौधरी बूरा साहब वापिस करवाना चाहते है केवल बड़े मालिकों के दिल में यही जलन है कि सरकार ने यह कानून बना कर हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है। अगर चौ.हर स्वरूप बूरा जी के बिल की बात मानी जाए तो इससे टेनैन्ट को भी फायदा होगा और मालिकों के दिल में जो जलन है वह जलन भी दूर होगी सरकार का इसमें कोई नुकसान नहीं और न ही सरप्लस में जो जमीन आई है उसके ऊपर किसी किस्म का असर पड़ेगा। मैं तो यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बिल सरकार खुद लाए।

कामरेड शंकर लाल (सिरसा): साथियों जो सरप्लस के अन्दर मालिक की जमीन आ जाती है उसके लिए उसे एक नहीं कितनी ही जगह अपील करनी पड़ती है और यह जो 30

गुणा पैसे दाखिल किए जाएंगे यह मालिक के ऊपर लगाने का सवाल नहीं है। मालिक की जलन मिटाने का इसके अन्दर क्या सवाल है। अब तो सीधी बात यह है कि हमारी केन्द्रीय सरकार कह रही है और हम भी कह रहे हैं कि जिस जमीन को कमीन काश्त करता है, हाथ से जो बोता है वह उसकी ही होनी चाहिए। बाकी तमाम जमीन को भूमिहीन और मुजारों में बांट दिया जाए। लेकिन हमारी सरकार कमीन के लिये जमीन का कानून नहीं बना रही है।

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह): स्पीकर साहब, चौ. हर स्वरूप बूरा जी ने जो बिल सदन के सामने पेश किया है और उसके लिये जो रिलीफ मांगी है उसके बारे में कुछ बातें यहां हुई। जैसा कि बाबू मूल चन्द जैन जी ने सुझाव दिया है मैं आनरेबल मैम्बर से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे इसको विदड्रा करें और गवर्नमैंट खुद ही इस बिल को लाएगी।

चौ. हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की एश्योरैंस पर इस बिल को विदड्रा करता हूं।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, पिछले सैशन में इसी हाउस में यह बिल आया था और पास हुआ जिसमें आज ये तरमीम लाना चाहते हैं। (व्यवधान) इसी हाउस में आज यह सरकार यह आश्वासन दे रही है कि इसको वापिस ले लें और सरकार खुद तरमीम लाना चाहती है। पिछले सैशन में इसी

गवर्नमैंट ने इसको पास किया था और स्पौंसर किया था और आज कहती है कि इसमें हम खुद दोबारा अमैंडमैंट लाएंगे, यह ठीक नहीं है, कहीं न कहीं गवर्नमैंट की स्थिरता तो होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: मेरे लायक दोस्त चौ. रिजक राम को एक गलत फहमी हो गई है। इस गवर्नमैंट के आने से पहले .....

चौ. रिजक राम: आप चैक–आप कर लें, पिछले सैशन में यह बिल आया था। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: इस गवर्नमैंअ के आने से पहले कांग्रेस सरकार के जमाने में ही यह प्रोवीजन था और हमने इस प्रोवीजन को ढीला किया था। इस बिल में पहली शर्त यह थी कि जो अपील करने वाले हैं उनको नकद 30 गुणा रूपया दाखिल करना पड़ता था। इस में ढील यह कि गई है कि इसमें बैंक गारंटी दी जा सकती है। दूसरी शर्त यह थी कि जो रूपया दाखिल कर देते थे, अगर वे जीत जाएं तो रूपया वापिस नहीं मिल सकता था पिछली बार यह किया गया कि अगर वह जीत जाता है तो रूपया वापिस मिलेगा और अगर हार जाता है तो जितनी देर तक वह जमीन पर काबिज है, उसका कुछ हिस्सा रख कर बाकी मुजरे किया जाएगा। पिछली बार यह ढील की थी।

Mr. Speaker: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw the Bill?

(Voices: Yes.)

The Bill was, by leave of the House, withdrawn.

गैर सरकारी प्रस्ताव –

(1) पंजाब तथा हरियाणा के मध्य रावी–ब्यास के अतिरेक पानी के विभाजन तथा पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना योजक नहर के भाग को कम कम समय में निर्मित करने सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Hon. Members, now there will be resumption of discussion on the resolution moved by Sh. Shamsher Singh Surjewala on the 1st March concerning the Sutlej Yamuna Link Canal.

Swami Aditya Vesh was on his legs on the 1st March, 1979, when the House adjourend. He may please resume his speech.

स्वामी आदित्य वेश (हथीन): अध्यक्ष महोदय, आज सतलुज यमुना योजक नहर का प्रस्ताव पुनः विचार करने के लिये रखा है, इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। सन् 1960 में, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में समझौता हुआ तो उस समझौते के अनुसार भारत

सरकार को 110 करोड़ रूपया पाकिस्तान को देना पड़ा, तब पाकिस्तान सरकार ने इस समझौते को माना था और यह स्वीकार किया था कि रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करेगा। यह दूसरी बात है कि रावी और ब्यास इन दोनों नदियों का पानी जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा ही इस्तेमाल करेंगे, हरियाणा उस वक्त नहीं बना था, बल्कि पंजाब का हिस्सा था। हरियाणा बनने से पहले और उसके बाद इस पानी को इस्तेमाल करने के लिये समय–समय पर कई कमेटियां बनाई गई और उनकी रिपोर्टस आई। 1968 में शर्मा कमेटी बनी थी, इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अधिकांश पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। (**इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए**) इसके बाद वाही कमेटी बनी जिसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 5.6 मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। इसके बाद सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने कमेटी बिठाई जिसकी सिफारिश थी कि हरियाणा को 3.4 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना चाहिए। इसके बाद फैटस फाइंडिग कमेटी बैठी जिसने 8 मिलियन एकड़ फीट पानी देने की सिफारिश की। इन सारी रिपोर्टस के बावजूद, उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 1976 में यह फैसला किया कि हरियाणा को साढ़े 3 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने इस घोशणा के साथ ही साथ 6 करोड़ रूपया भी हरियाणा को दिया जिस में से 1 करोड़ रूपया हरियाणा सरकार ने मुआवजे के रूप में पंजाब सरकार को दिया। लेकिन बड़े खेद की बात है और मैं देख रहा हूं कि आज तक इस प्रौजैक्ट पर

पूरी गति के साथ कार्य आरम्भ नहीं हुआ। एक तरफ तो हमारा यह पक्ष है कि इस फैसले को कार्यान्वित करना चाहिए और दूसरी तरफ आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पंजाब के वित मंत्री ने सदन में एलान किया है कि पंजाब सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह रावी–व्यास के पानी के मामले को री–ओपन करके सारा पानी ले रही है। उस तरफ से तो यह घोशणा की जा रही है और हमारी तरफ से न तो कोई इस प्रकार की घोशणा की जा रही है और न कोई कठोर कदम उठाने के लिये सक्रिय कदम उठाने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है। जनता सरकार की तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा लेकिन पंजाब की कांग्रेस पार्टी तमाम पार्टियों को मिलाकर, 18 तारीख को एक संघर्श समिति का अधिवेशन बुला रही है उसमें इस पर सोच विचार किया जाएगा कि रावी–ब्यास का पानी लेने के लिए उनका अगला कार्यक्रम क्या होगा। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने एलान किया था कि अप्रैल के महीने में 22 किलोमीटर योजक नहर पंजाब में बनाने का उद्घाटन करेंगे और आप सब लोग इस खुशखबरी को सुनेंगे। लेकिन जो खुशखबरी हमें सुनने के लिये मिलनी चाहिए वह इस सदन की चारददवारी तक ही सीमित हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार यह समझती है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हरियाणा छोटा है। हरियाणा का छोटा भाई होने का मतलब यह नहीं है कि वे हमें दबाते जाएं। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मोरार जी भाई से कहें कि हरियाणा के साथ इतना बड़ा अन्याय न करें। हरियाणा एक पिछड़ा हुआ

राज्य है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पिछड़े हुए राज्यों को आर्थिक सहायता ज्यादा दी जाएगी। प्लानिंग कमीशन ने दो हजार करोड़ रूपया राज्यों में बांटने के लिये रखा था इसमें से काफी रूपया यू. पी. का दिया गया, बिहार को दिया गया लेकिन हरियाणा और पंजाब को सबसे कम दिया गया। हरियाणा राज्य भी दूसरे राज्यों की तरह पिछड़ा हुआ राज्य है, पानी की दृश्टि से भी पिछड़ा हुआ है। इसलिये मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह प्रधानमंत्री पर पानी लेने के लिये दबाव डाले, उनसे रिक्वैस्ट करें और इसके बाद घोशणा करे कि अमुक तारीख तक पानी का फैसला कर लेंगे और अमक तारीख तक फैसला इम्पलीमैंट होगा। अगर लागू नहीं किया जाएगा तो हरियाणा सरकार संघर्श के रास्ते पर चलेगी, हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार और हमारी जनता सरकार लगभग 120 करोड़ रूप्या इस मामले पर खर्च कर चुकी है और इस साल डिस्ट्रिब्यूटरीज को बनाने के लिये 16 करोड़ रूप्ये का प्रोवीजन इस बजट में किया है। इतना खर्च करने के बाद अगर यह पानी हमें नहीं दिया गया तो करोड़ों रूप्या जो इस प्रोजैक्ट पर खर्च हुआ है, बेकार हो जाएगा और हमारे राज्य पर बहुत अधिक बोझा पड़ेगा। इसलिये इस कार्य को पूरा करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए और भारत सरकार पर पूरा जोर डालना चाहिए। इसके दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने एक लौबी बना रखी है और यह घोशणा कर रखी है कि रावी–ब्यास के मामले को री–ओपन करवायेंगे और वे हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी कीमत पर हरियाणा

को पानी नहीं देंगे। आपने पढ़ा होगा, यह सब समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है। समाचार पत्रों में यह भी आया कि पंजाब सरकार सरहंद मोरिंडा के क्षेत्रों से सतलुज जमुना योजक नहर नहीं निकलने देगी। इन सारी बातें को ध्यान में रख्तो हुए पंजाब की अकाली सरकार नहीं, बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात के लिये कृत–संकल्प हैं कि हरियाणा को किसी कीमत पर भी पानी नहीं देंगे और किसी कीमत पर अपनी धरती में से नहर नहीं निकलने देंगे और अगर हरियाणा सरकार नहर निकालना चाहती है तो शिवालिक की पहाड़ियों में से निकाले, जिसका खर्चा न तो हरियाणा सरकार बर्दाश्त कर सकती है और न ही यह उसके लिये लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिये मेरी सरकार से गुजारिश है कि भाखड़ा नहर के साथ–साथ यह सतलुज जमुना योजक नहर बनाई जाए और हरियाणा को हर हालत में पूरा पानी लेने के लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर पहले काफी बहस हो चुकी है, पिछले साल भी इस पर विचार हुआ था, और जबसे जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से वह मामला चला आ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह एलान किया था कि यह मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैं एस.वाई.एल. के डिस्पयूट को समाप्त करूंगा, हर हालत में पानी लूगां और हमारा पूरा विश्वास भी था। इन्होंने विश्वास दिलाया था कि पिछली सरकार पानी नहीं ले पाई क्योंकि उसके सम्बन्ध पंजाब सरकार के साथ अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारी ससरकार का तो पंजाब सरकार के साथ अच्छा दोस्ताना है, दोस्ती का दावा करती है, लेकिन यह

दोस्ती ऐसी न हो कि दूसरो दोस्त कुर्बान हो जाए, सारे राज्य की जनता उस दोस्ती के नाम पर कुर्बान हो जाए। इस खतरे से बचने के लिये मैं चाहूंगा कि सरकार कोई संघर्श का रास्ता अपनाये, कोई आन्दोलन आरम्भ करे जिससे हरियाणा का हक मिल सके। रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ तथा अन्य कई क्षेत्र पानी के अभाव में सूखे पड़े हैं, इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस दिशा में कोई ड्रास्टिक कदम उठाए और पानी लेने के लिये कोई ढील न बरते। धन्यवाद।

11.00 बजे

चौ. हरिचन्द हुड्डा (किलोई): डिप्टी स्पीकर साहब, इस पानी के मामले में जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में भाई–चारे से फैसला हो सकता है तो पंजाब और हरियाणा में तो फैसला होगा ही, यह मेरा विश्वास है। ये सरकारें तो दरअसल किसान की सरकारें हैं। मेरे कई दोस्त हाउस में ऐसी बात कह जाते हैं जो ठीक नहीं बैठती। पंजाब में किसान की सरकार है, हरियाणा में किसान की सरकार है और हिन्दुस्तान में भी किसान की सरकार कुछ तो बन गई है और बनती जा रही है। जब दूसरे मुल्क भी आपस में बैठकर झगड़े निपटा लेते हैं तो पंजाब और हरियाणा की तो कोई लम्बी चौड़ी बात ही नहीं है क्योंकि पंजाब अगर हरियाणा से दूर जाता है तो वह भी कुछ नहीं ले पाएगा और इसी तरह से अगर हरियाणा पंजाब से दूर जाता है तो यह भी कुछ नहीं ले पाएगा। पंजाब के भाइयों ने जब कभी हरियाणा के खिलाफ

आवाज उठाई है तो वे कुछ ले नहीं पाये है। इसी तरह से जब कभी हरियाणा में पंजाब के खिलाफ आवाज उठी या ऐजीटेशन हुआ हम भी कुछ नहीं ले पाए तो पिछले वाक्यात हमें यह बताते हैं कि पंजाब और हरियाणा दोनो भाई भाई हैं और जब तक ये दोनों आपस में मिल कर कोई काम नहीं करेंगे और सैंट्रल गवर्नमैंट पर दबाव नहीं डालेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां तक पानी का सवाल है, मैं समझता हूं इसमें हरियाणा घाटे में नहीं रहेगा क्योंकि इसके बारे में हमारी गवर्नमैंट जो हरियाणा की नमायंदगी कर रही है, अच्छे कदम उठा रही है। मुझे यकीन है कि यह पंजाब से ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा लेने में कामयाब होगी। क्योंकि इसी में पंजाब वालों की तारीफ है और हरियाणा वालों की भी क्रैडिट मिलेगा।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला ने यह रैजोल्यूशन मूव करते समय बड़ी तफतील के साथ इस एस.वाई.एल. की हिस्टरी बताई। उन्होंने मुख्तलिफ कमेटियों का भी जिक्र किया जो रीआर्गेनाइजेशन से पहले या बाद में बनीं। गवर्नर साहब ने 1968 में ऐड्रैस पढ़ते वक्त जो अश्योरैंस विधान सभा में दी, उसका हवाला भी उन्होंने दिया। उस वक्त के मुख्यमंत्री ने जो अश्सोरैंस दी उसका हवाला भी उन्होंने दिया। इन सारी बातों से एक ही निचोड़ पर हम पहुंचे थे कि हरियाणा के लिये, हर कमेटी ने, उस वक्त के गवर्नर महोदय ने या चीफ मिनिस्टर ने पानी के हिस्से के

बारे में जो सिफारिशात की थीं वे 3.5 मिलियन एकड़ फीट से जो 24.3.76 के आर्डर के तहत हमें मिला है, कहीं अधिक थीं। सदन में पहली तारीख को भी काफी सदस्यों ने इसके बारे में चर्चा की, अपने विचार व्यक्त किए कि हरियाणा का एक–एक आदमी इस बात से चिन्तित है और चाहता है कि जल्दी से जल्दी यह पानी आना चाहिए क्योंकि हमारा भाग्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब जनता पार्टी की सरकार जब से हरियाणा में कायम हुई है हमने इस आर्डर को इम्पलीमैंट कराने के लिये कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी कोशिशों से ही पंजाब के पोर्शन में 5 किलो मीटर तक दफा 4 और दफा 17 के तहत लैन्ड एक्वीजिशन की नोटिफिकेशन हुई थी। हमारी कोशिशों से ही एक वक्त ऐसा भी आया था जब ऐसा नजर आया था कि दोनों सरकारें रजामन्द हैं और एक तिथि की घोशणा भी की गई थी परन्तु हालात ऐसे हुए, चाहे वे सियासी हालात हों या किसी किस्म की मजबूरी हो, दोनों स्टेटस अपने अपने स्टैन्ड पर कायम रहीं। जनता पार्टी की सरकार ने यह समझते ही कि अब आपसी नैगोसिएशंज से बात बनने वाली नहीं है, फौरी तौर पर गवर्नमैंट आफ इन्डिया को एप्रोच किया डिप्टी स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं सदन को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में हमारी प्रधान मंत्री जी के साथ चार मीटिंगज हुई। पहली मीटिंग 26.8.78 को हुई, दसूरी मीटिंग 2.9.78 को हुई तीसरी मीटिंग 8.9.78 को और चौथी मीटिंग 28.9. 78 को हुई। इस मीटिंगज में सरकार ने अपना पक्ष जो था वह

प्रधान मंत्री जी को सुझाया और बताया, सारे केस के तथ्य उनके सामने रखे और पुरजोर अपील की कि मामला जो कई सालों से लटका हुआ है इसको सुलझाया जाए और पंजाब के पोर्शन में फौरी तौर पर नहर की खुदाई शुरू करवाई जाए। सरकार की ओर से प्राइम मिनिस्टर साहब, को बताया गया कि हरियाणा के पोर्शन में एस.वाई.एल. का जो कैरीयर चैनल है उसकी खुदाई लगभग कप्पलीट है। प्राईम मिनिस्टर साहब को यह सुझाया गया कि हरियाणा इस सिस्टम पर, जो लिफ्ट इरीगेशन का यह सिस्टम डिवैल्प किया गया है, 125 करोड़ रूपया खर्च कर चुका है। प्राईम मिनिस्टर साहब को हरियाणा के पक्ष की ओर से यह भी बताया गया कि इस नहर के न खुदने से हरियाणा को करोड़ों रूप्ये का सालाना नुकसान हो रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब से जनता पार्टी की सरकार बनी तब से इस नहर को पंजाब के पोर्शन में खुदवाने के लिये हर ममकिन कदम उठाए गए।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे भाई शमशेर सिंह जी ने जो रैजोल्यूशन सदन के सामने रखा है, उसको दो भागों में तकसीम किया जा सकता है। पहला भाग इस प्रकार है –

This House is of the firm view that the apportionment of surplus Ravi Beas water between Punjab and Haryana by the Government of India was just, equitable is final and nto negotiable.

डिप्टी स्पीकर साहब, जब से जनता पार्टी की सरकार वजूद में आई है कई बार बड़े साफ शब्दों में इस सदन में एलान किया गया है कि सरकार यह मानती है कि 24 मार्च, 1976 का गवर्नमैंट आफ इंडिया का जो आर्डर है वह फाईनल है नैगोशिएबल नहीं है, इसे री–ओपन करने के लिये हम तैयार नहीं है और आज भी इस सरकार का यही स्टैन्ड है।

जो इस रैजोल्यूशन का अगला पोर्शन है वह यह है –

The house thus recommends to the State Government to approach the Government of India to get protion of Sutlej Yamuna Link canel in the Terriotory of Punjab constructed/completed within the shortest time.

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पहले ही सदन के सामने स्पश्ट कर चुका हूं कि जनता पार्टी की सरकार जब से वजूद में आई है इसके बारे में कोई कसर बाकी नहीं रखी। ये गवर्नमैंट आफ इंडिया के पास जाने की बात करते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम बहुत पहले गवर्नमैंट आफर इंडिया का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इन हालात में माननीय सदस्य, जिन्होंने यह रैजोल्यूशन मूव किया है मेरी यह बात मानेंगे कि यह रेजोल्यूशन एक तरह से रीडनडैन्ट है। अगर इसमें सुन्दर भाशा होती, कोई और सुझाव होता तो सरकार इनके साथ इस रैजोल्यूशन को पास करवाने के लिये बिल्कुल तैयार थी परन्तु जो इकदमात उठ चुके हैं और इस अश्योरैन्स के बाद कि 24 मार्च,

1976 के आर्डर को मौजूदा सरकार फाईनल मानती है, नैगोशिएबल नहीं मानती और जो गवर्नमैंट आफ इंडिया में जाने वाली बात है वह कदम पहले उठ चुके हैं, इस रैजोल्यूशन को कोई वुक्कत रह नहीं जाती। डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ साथियों ने चर्चा की कि परसों अखबारों में यह खबर थी कि पंजाब के फाईनैंस मिनिस्टर ने ऑन दि फ्लोर आफ दि हाउस कोई स्टेटमैंट दिया है। मैं नहीं कह सकात कि अखबार की रिपोटिंग सही है या गलत है लेकिन हमारी सरकार की जो नीति है उसके बारे में मे। कह सकता हूं। जो पोजीशन आज के दिन इस एस.वाई.एल. के मामले में हमारी है वह मैं इस सदन के सामने बताना चाहता हूं कि कोई भी केस एल.वाई.एल. के मामलें में रीओपन नहीं किया गया है और न ही हरियाणा सरकार कभी आगे इस केस को रीओपन करेगी। हमारा आज भी वही स्टैन्ड है कि 24 मार्च 1976 का जो आर्डर है वह फाईनल है और नैगोशिएबल नहीं है।

एक और विश्वास मैं सदन को दिलाना चाहता हूं कि यह जो मामला गवर्नमैंट आफ इंडिया या प्रधान मंत्री के पास पैंडिग है, इसको हम यहीं तक नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि हम मुअस्सर अकदामाल बहुत जल्दी से जल्दी उठाने के बारें में सोच रहे है। वह बात इस समय यहां हाउस मैं डिसक्लोज करना जन–हित में नहीं होगी। इस सारी अश्योरैन्स के बाद मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस रैजोल्यूशन को वापिस ले लें क्योंकि इसमें कोई ऐसा सुझाव नहीं है जिसके बारे में सरकार

कोई पग न उठा रही हो। सरकार पहले ही काफी सतर्क है और इस ओर पहले ही पग उठार रही है। इसलिये माननीय सदस्य को फिर रिक्वैस्ट करूंगा कि वे इस रैजोल्यूशन को विदड्रा कर लें तो ठीक रहेंगा।

श्री शमशेर सिंह (नरवाना): डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने पैरा 2 के बारे में कहा है कि सरकार पहले से ही काफी कटिबद्ध है और काफी प्रयत्न कर रही है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जो मैंने रैजोल्यूशन भेजा था वह ओरिजनल शब्दों में यहां सदन में नहीं आया है। विधान सभा सैक्रिटेरियेट के कहने पर उसमें कुछ चेंज कर दी गई। उन्होंने यहां हाउस में कहा कि उस प्रस्ताव की अगर कुछ और भाशा होती या कुछ और सुझाव होते तो मैं मान लेता। मैंने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें कुछ सुझाव थे। मेरे ओरिजनल रैजोल्यूशन में यह था कि पंजाब के हिस्से में सतलुज यमुना लिंक कैनाल को खुदवाने के लिये हरियाणा सरकार हर किस्म के अकदामात जल्द से जल्द उठाये लेकिन सैक्रिटेरियेट के कहने पर चेंज कर दिया गया कि यह प्रस्ताव कन्ट्रोवर्शियल फार्म में नहीं आना चाहिए और इस मामले को पोलिटिकल न बनाया जाये क्योंकि इस मामले पर हरियाणा के सारे लोग इकट्ठे हैं। इस लिये मैंने उनकी इस बात को स्पीकार कर लिया कि इस प्रस्ताव की भाशा बदल दी जाये। मैंने हरियाणा सरकार के और किसी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं काह लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इरीगेशन मिनिस्टर

साहब ने एतराज किया कि चूंकि पहले ही हरियाणा सरकार यह सारी बातें कर रही है इसलिये इस प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार जो पहले ही कर रही है क्या उस पर हाउस की सहमति नहीं चाहती है, या हाउस की सील नहीं लगवाना चाहती है? मैं मंत्री महोदय से दरखास्त करूंगा कि यह प्रस्ताव सरकार के हाथ मजबूत करने के लिये है, सरकार के हाथ कमजोर करने के लिये नहीं है। मिनिस्टर महोदय ने एक लफ्ज भी इस बारे में यहां नहीं कहा कि इस प्रस्ताव के पास होने की सूरत में किसी प्रकार की कोई रूकावट होगी। मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रस्ताव के पास हो जाने से इनको मदद मिलेगी। जब सारा हाउस सर्वसम्मति से यह बात कहता है तो फिर इनको भारत सरकार के साथ या पंजाब सरकार के साथ बात कराने में मदद मिलेगी और उस वक्त यह कह सकते हैं कि हमारे सदन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इस मामले पर दोबारा कोई नैगासिएशन करें सारा सदन इस पर वचनबद्ध है कि कम से कम समय में इस नहर को खुदवाया जाये। यह रैजोल्यूशन पास होने पर काफी हैल्प मिलेगी इसलिये मैं इस प्रस्ताव को वापिस लैने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी समझ में नहीं आता है कि अब एक कदम उठ चुका है तो उस पर वे क्या सील लगवाना चाहते है। वे इस रैजोल्यूशन के दूसरे भाग पर बड़ा

जोर दे रहे हैं। The second part of they resolution says that the State Government should approach the Government of India ..... We have already approached them in this connection. इसमें कोई नई बात नहीं कही गई है लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्त से यह कहना चाहूंगा कि कोई बढ़िया सुझाव वे देना चाहते है तो दें या उनकी पार्टी देना चाहती है तो वह दे, हम उनको इम्पलीमैंट करने के लिये तैयार है। जब हरियाणा की सारी जनता और सीर पोलिटिकल पार्टीज यह चाहती है कि इस नहर को जल्द से जल्द खुदवाया जाये तो फिर इस रैजोल्यूशन को पास करने का लाभ नहीं। कोई नया सुझाव देंगे तो जरूर मांनेगे लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस रैजोल्यूशन में कोई सील लगवाने वाली बात होती तो जरूर हाउस से सील लगवाते। इस रैजोल्यूशन को पास करके तो एक रैपिटीशन वाली बात है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वे इसको वापिस ले लें।

श्री शमशेर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, चूंकि यह प्रस्ताव अपोजिशन बैचिज की तरफ से है इसलिये इसे पास नहीं करना चाहते। इसलिये मैं इसको विदड्रा करने के लिये तैयार नहीं हूं। It should be put to the voate of the House.

उद्योग मंत्री (डा. मंगल सैन): मैं अपने लायक दोस्त से निवेदन करता हूं कि वे फासल प्रैस्टेज में न पड़े। जो बातें प्रस्ताव में कही गई है उनके बारे में सरकार आलरेडी बातचीत कर रही है। ग्रेस की बात यही है कि वे इसको विदड्रा कर लें।

श्री शमशेर सिंह: मैं इसको विदड्रा नहीं करता क्योंकि हसमें पोलिटिकल बात है। गवर्नमैंट को फालस प्रैस्टेज पर स्टैन्ड नहीं करना चाहिए और हाउस को यह रैजोल्यूशन पास कर देना चाहिए।

Mr. Deputy Sepaker: Question is –

This House is of the firm view that the apportionment of surplus Ravi-Beas water between Punjab and Haryana by the Government of India was just, equitable, is final and not negotiable.

The House thus recommends to the State Government to approach the Government of India of get portion of Sutlet-Yamuna Link canal in the territory of Punjab constructed/completed within the shortest time.

The motion was last.

(ii) जिला गुड़गांव की तहसील नूह, फिरोजपुर झिरका, पलवल तथा उप तहसील पटौदी को ओद्योगिक रू॰ से पिछड़ा हुआ घोशित करने सम्बन्धी

Mr. Speaker: Now Swami Aditya Vesh may please move his resolution.

स्वामी आदित्यवेश: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि जिला गुड़गांव की तहसील नूह, फिरोजपुर झिरका, पलवल तथा उप तहसील पटौदी को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोशित करें तथा उनको औद्योगिक सुविधाएं दे कर साधन सम्पन्न तथा आत्म निर्भर बनाए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

This House rcommends to the State Government to declare Tehsils Nuh, Ferozepur Jhirka and Palwal and sub-tehsil Pataudi of District Gurgaon, as industrially backward and to make them resourceful and self-sufficient, by providing industrial facilities.

स्वामी आदित्यवेश (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो मैंने प्रस्ताव रखा है यह सारे हरियाणा के लिये बहुत बड़ा चिंता का विशय है और सारे हरियाणा के लिये अहम सवाल है क्योंकि हरियाणा में फिरोजपुर झिरका नूह और पटौदी का क्षेत्र आर्थिक दृश्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है। आप अच्छी तरह से जानते है कि यह क्षेत्र साहबी नदी की वजह से बरबाद हुआ है। साहबी नदी का और गुडगांव जिले का सारा पानी खुल कर नूह और फिरोजपुर झिरका में आता है। इस पानी को निकालने के लिये सरकार ने बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, इसके लिये तो सरकार बधाई की पात्र है परन्तु पानी निकालने से इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये तीन बातों की आवश्यकता होती है। पहले तो वहां कृशि का

उत्पादन बढ़े, दूसरे वहां पर पानी का प्रबन्ध हो और तीसरे वहां के लोगों को रोजगार मिले। जहां तक कृशि का सम्बन्ध है वह इलाका पिछले दो सालों से बिल्कुल बरबाद हो रहा है। पिछले दो सालों से ही नहीं बल्कि पिछले 15–20 सालें से वहां कृशि का ढांचा खराब हो रहा है। वहां पर न रबी की फसल होती है और न ही खरीफ की ही फसला होती है। उस इलाके का व्यक्ति भूख की चपेट में बरबार हो रहा है और उसे खाने को और पहनने को नहीं मिल रहा है। वहां पर मकान बनाने के लिये कोई सुविधा नहीं है और न ही कोई दूसरी प्रकार की सुविधाएं हैं। सारे मेवात के क्षेत्र पर दृश्टि डालें तो आपको पता लगेगा कि सारे लोगों के कपड़ों के ऊपर टीकरें लगी हुई हैं यानी जो कपड़े वे पहने हैं, वह साबत नहीं है। जहां तक उनके घरों का ताल्लुक है, उनके घरों की हालत यह है कि वहां पर किसी एक मकान के आगे दरवाजा आपको नहीं मिलेगा। जहां तक उनके बर्तनों का ताल्लुक है, उनके पास सिलवर के अलावा और किसी भी चीज के बतन नहीं हैं। वे इतने गरीब हैं कि वे पौवर्टी लाईन यानी दरिद्रता रेखा के भी नीचे रह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहां के लोग काम न करना चाहते हों। मुझे इसी सदन में पिछले साल एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि सरकार सिरसा जिला को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोशित करने जा रही है। हमें किसी पर कोई गिला नहीं है कि सिरसा जिला क्यों पिछड़ा हुआ जिला घोशित किया गया हम तो यह चाहते हैं कि जो वाकई पिछड़े क्षेत्र हैं, उनको पहले पिछड़ा हुआ क्षेत्र क्यों नहीं घोशित किया जाता। यह जो

डिस्क्रिमीनेशन की गयी है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। हमें बड़ा दुःख होता है जब हमारे ऐसे क्षेत्र के साथ जोकि गरीबी स्तर से भी नीचे है सरकार इस तरह का व्यवहार करती है। सरकार को तो ऐसे क्षेत्र के साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए। हमारी सरकार ने पिछले साल साढ़े सात करोड़ रूप्या गांवों में पीने का पानी मुहैया करने के लिये लिया था। उसे 125 गांवों में पानी भी दिया गया है। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस सारे मेवात क्षेत्र के एक भी गांव को जिसमें नूह, पलवल, फिरोजपुर झिरका और पटौदी शामिल है, पानी नहीं दिया गया। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यह राजनैतिक भेदभाव क्यों किया जा रहा है। कल ही मरै सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने यह माना है कि इस क्षेत्र के 82 प्रतिशत गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। लेकिन उन्होंने पिछले साल के दौरान में इस सारे क्षेत्र में एक भी गांव को पीने का पानी नहीं दिया है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारे नौजवान विदेशों में जा रहे है। हमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि वे आज बड़े निराश होकर अरब कन्ट्रीज में या कहीं और मजदूरी करने के लिये जा रहे हैं। वहां पर वे मजदूरी करने के लिये, रोड़ी कूटने के लिये, पत्थर ढोने के लिये जा रहे हैं। आज वहां का नौजवाब कोई पलवल में रिक्शा चला रहा है तो कोई महेन्द्रगढ़ में रिक्शा चला रहा है। वहां के लाग काम करना चाहते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी का कुछ लोग नाजायज फायदा उठा कर उनसे जलालत कर रहे हैं। उपके पुलिस विभाग के ही कुछ कर्मचारी

लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे है। वहां का आम किसान इतना दबा हुआ और डरा हुआ है कि अगर कोई पुलिस का कर्मचारी उसके पास पहुंच जाये तो वह यह समझता है कि कोई बहुत बड़ा यमराज आ गया है। उसका डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। तावडू के एक सल्लू चौधरी को इतनी बुरी तरह से पुलिस ने पीटा कि जिसकी कोई हद नहीं है। इस बात का पता वहां पर पूछने से आपको लग सकता है। वहां से पुलिस पलवल तहसील के एक गांव महरौली में पहुंच जाती है। वहां पर महेन्द्रगढ़ जिले का एक ए.एस.आई. श्री लीला राम नामक व्यक्ति को पकड़ कर ले जाता है उसको लेजा कर जेल में बन्द कर देता है। उसके बाद 4 हजार रूपये में उसे छोड़ने का सौदा तय हो जाता है। 2000 रूपया नकद दे दिया जाता है और 2000 रूपया देने का वायदा हो जाता है। फिर उसको छोड़ दिया जाता है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का निर्दयतापूर्ण व्यवहार वहां के लोगों से किया जाता है। हमारी सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि गरीब क्षेत्रों को ऊपर उठायेंगे लेकिन दूसरी तरफ वहां के लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। वहां की पर–कैपिटा इन्कम 200 रूपये से भी कम है जबकि दूसरे इलाकों की पर कैपिटा इन्कम 1474 रूप्ये के लगभग हैं। आप देखिये, कैसे वहां के लोग गुजारा कर सकते हैं। जहां तक उन्हें जीविका देने का ताल्लुक है, हमें उन्हें दूसरे साधन भी जुटाने चाहिएं। इस सारे क्षेत्र की 11 लाख की आबादी है। इस सारे क्षेत्र में पलवल को छोड़ कर न नूह में, न फिरोजपुर झिरका में, न पटौदी में और

नहीं कहीं और कोई औद्योगिक केन्द्र नहीं खोला गया है। पिछले दिनों हमारी सरकार की तरफ से यह विश्वास दिलाया गया था और यह घोशणा भी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने की थी कि वहां के लोगों के लिये सरकार 10 प्रतिशत जौब रिजर्वेशन करेगी। लेकिन न वहां पर पीने का पानी मुहैया होता है और न ही वहां के लिये कोई जाब रिजर्वेशन करेगी। लेकिन न वहां पर पीने का पानी मुहैया होता है और न ही वहां के लिये कोई जौब रिजर्वेशन की गयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस 11 लाख की आबादी को हरियाणा से एक्सक्लयूड कर दिया गया है। हम यदि आज चण्डीगढ़ से चलते हैं तो रास्ते में अम्बाला पहुंचते हैं तो वहां पर लगता है कि कोई काम हो रहा है। इसी तरह से हम आगे चल कर दिल्ली और फरीदाबाद में पहुंचते हैं तो वहां पर लगता है कि कोई काम हो रहा है। इसी तरह से हम आगे चल कर दिल्ली और फरीदाबाद में पहुंचते हैं तो वहां पर भी यह लगता है कि कोई काम हो रहा है लेकिन नूह, पलवल, फिरोजपुर झिरका और पटौदी में कोई काम होता नजर नहीं आता। वहां पर बसने वाले भाइयों की आज यह हालत हो गयी है कि वे दाने दाने के लिये तरस रहे हैं क्योंकि न तो उनके पास रोजगार के कोई साधन हैं और न ही सरकार की तरह से वहां पर कोई काम किये जा रहे हैं। जहां तक जींद और महेन्द्रगढ़ जिलों का ताल्लुक है, वह तो एक अलग मसला है। लेकिन मेरे यहां मेवाल के लोगों की स्थिति ऐसी है जैसे मैंने बतायी है। वह बहुत पहले से ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसलिये मैं अपनी सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इसी वर्श

इसी सैशन में यह घोशणा करे कि हम इस सारे क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोशित करते हैं। जहां तक महेन्द्रगढ़ का सवाल है, जहां तक सिरसा का सवाल है, वह तो ठीक है लेकिन उसी तरह से हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र को भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोशित किया जाये। पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोशित करने के लिये जो रा–मैटीरियल होना चाहिए वह वहां पर भी उपलब्ध है। वहां पर मजदूरी बहुत सस्ती है। वहां पर सस्ती लेबर बहुत ज्यादा है। जब आपने वहां पर रिंग बांध बनाये तो जहां सरकार मजदूरी के 7 रूपये दिहाड़ी देती है तो वहां के जो ठेकेदार थे, उन्होंने उन बेचारे मजदूरों को तीन या साढ़े तीन रूपये दिये। आप देखिये, उन बेचारों के कुनबों के कुनबों को प्रतिदिन भी मजदूरी नहीं दी गई। उनको एक–एक महीने या दो–दो महीने के बाद मजदूरी दी गयी। जब मजदूरी दी गई तो 3 या साढ़े तीन रूपये के हिबाब से दी गई जबकि गवर्नमैंट का रेट 7 रूपये का है। इसलिये जो उनका हक है, वह उन्हें जरूर दिया जाना चाहिए। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से आपने और क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ घोशित किया हुआ है, इस सारे क्षेत्र को भी जिसमें पटौदी, पलवल, नूह, और फिरोजपुर झिरका का, मेवात का क्षेत्र शामिल है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोशित किया जाये। अन्त में मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से महेन्द्रगढ़ जिला व भिवानी का कुछ हिस्सा और राजस्थान के अलवर जिला को पिछड़ा हुआ घोशित किया हुआ है, उसी तरह से इस मेवाल के एरिया को भी पिछड़ा

हुआ क्षेत्र घोशित किया जाये ताकि वहां के लोगों को भी कुछ सुविधा मिल सके।

चौ. खुरशीद अहमद (तावडू): आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर स्वामी जी ने इस हाउस के सामने एक रैजोल्यूशन रखा है। मैं यह उनकी मांग बिल्कुल जायज समझता हूं कि जिला गुडगांव की तहसील नूह, फिरोजपुर झिरका, पलवल तथा उप तहसील पटौदी को इंडिस्ट्रियली बैकवर्ड करार दिया जाये तावडू तो इसमें इन्कल्यूडिड है स्वामी जी का यह रैजोल्यूशन बिल्कुल जायज है और यह कहना बिलकुल जायज बनता हे कि इन एरियाज को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाये। इसमें मैं एक अमैंडमैंट जबानी मूव करना चाहता हूं। आशा है सदन मुझे इजाजत देगा और स्वामी जी भी इसे स्वीकार करेंगे कि जहां फिरोजपुर झिरका तहसील, नूह तहसील, पलवल तहसील और उप–तहसील पटौदी इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर होनी चाहिए वहां मैं यह समझता हूं कि सोहना कानूनागोई भी इसमें शामिल होनी चाहिए। मेरा ख्याल यह है कि यह इनसे गलती से रह गया है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): यह तो स्वामी जी मान ही लेंगे।

स्वामी आदित्यवेश: मुझे एतराज नहीं है।

चौ. खुरशीद अहमद: अब देखने वाली बात यह है कि सोहना कानूनगोई, फिरोजपुर झिरका, पलवल, पटौदी और नूह तहसील इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर्ड नहीं है। लेकिन महेन्द्रगढ़ जिला और सिरसा जिला इसके मुकाबले में पहले ही इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर किये हुए हैं। ये सारे इलाके महेन्द्रगढ़ जिला और अलवर जिला जोकि राजस्थान में पड़ता है, के साथ–साथ लगते हैं। वह तमाम एरिया इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर्ड किया हुआ है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने उसको माना हुआ है सिर्फ एक छोटा सा एरिया रह जाता है जिसकी तरफ स्वामी जी ने ध्यान दिलाया है और जिसको अभी तक इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर नहीं किया जा सका और शायद यह मानकर कि यह इलाका गुडगांव जिला का एक हिस्सा है और गुड़गांवा इंडस्ट्रियल बैल्ट है और उसके पास फरीदाबाद भी इंडस्ट्रियल बैल्ट है और यहां पर काफी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। यह टैस्ट एप्लाई किया गया हो कि गुड़गांव और फरीदाबाद में काफी इंडस्ट्रीज हैं इसलिये इस सारी बैल्ट को बैकवर्ड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, इसको अलग यूनिट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि सरकार इस बात को देखे कि फरीदाबाद की इंडस्ट्री से या गुड़गांव की इंडस्ट्री से इन इलाकों के मजदूरों को, जिनका कि स्वामी जी ने अपने रैजोल्यूशन में जिक्र किया है, मजदूरी मिल सकती है। क्या इन इलाकों के मजदूरों को इन इंडस्ट्रीज से पेट भरने का कोई साधन मिल सकता है और वे अपने घर पर रहकर बच्चों का पेट भर सकते

हैं। वहां पर ऐसी भी दिककत है जिसकी तरह स्वामी जी ने सदन का ध्यान दिलाया है। होम मिनिस्टर साहब, इत्तफाक से यहां पर बैठे हुए हैं और मैं उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब कभी गांव में सिपाही आ जाते हैं, कोई थानेदार आ जाता है तो लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। उनसे रूपया मांगा जाता है और अगर रूपया नहीं दिया जाता तो वे लोग गाली गलौच करते हैं वहां पर पुलिस का रवैया डाकू से कम नहीं है.....
.

श्री वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफर आर्डर, डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने कहा कि मैं इत्तफाक से यहां बैठा हूं। मैं यहां पर इत्तफाक से नहीं बैठा हुआ हूं बल्कि इलैक्ट होकर आया हूं और मैं हर बात सुनता रहता हूं।

चौ. खुरशीद अहमद: डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि ये इलैक्ट होकर ही आए हैं। मैं कह रहा था कि अभी स्वामी जी ने सल्लू खां के केस का जिक्र किया। इस केस की बाबत मैं बता सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो रही थी और वहां पर पता लगा कि सल्लू खां और उसके लड़के को एक सब इंस्पेक्टर आफ पुलिस ने नाजयज तौर पर थाने में बैठाकर बुरी तरह से मारा पीटा है और रिश्वत ली है और सामान भी ले लिया है। कोआर्डिनेशन कमेटी ने यह तय किया कि उस अफसर के यहां आज ही छापा मारा जाए। छापा मारा गया और हर ऐलीगेशन सही पाया गया। थानेदार को सस्पैंड

किया गया। तीसरे दिन डी.एस.पी. ने जाकर सल्लू खां के लड़के को बुलाकर तावडू टूरिस्ट कॉम्पलैक्स में बैठाकर मारा और उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया कि वह बेहोश हो गया। उन्होंने इस्तगासा किया। इस पर डी.एस.पी. ने कहा कि तुम लोगों को गोली से उड़ा दूंगा। यह केस मैं होम मिनिस्टर के नोटिस में लाना चाहता हूं क्योंकि स्वामी जी ने अपनी स्पीच में इसका जिक्र किया है। इस एरिया की इकोनोमिक अपलिफटमैंट के लिये जब तक यहां पर रोजगार देने के साधन मुहैया नहीं किए जाएंगे तक तक इस तरह की ऐक्सप्लाटेशन यहां होती रहेगी। इसलिये यह जरूरी है कि इस इलाके को रोजगार के साधन मुहैया किए जाएं। इस इलाके के लोग बहुत मेहनतकश हैं, यहां पर काफी गरीबी है। गरीबी का कारण यह है कि फ्लड की वजह से लोगों को धरती नहीं मिलती। रोजगार का कोई साधन नहीं है। मैं सरकार से उम्मीद रखता हूं कि इस इलाके की तरफ ध्यान देगी और इस इलाके को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर करके वही सुविधाएं देगी जो दूसरे इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज को दे रही है। इस एरियाज के चारों तरफ जेसे महेन्द्रगढ़ का इलाका है, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट अलवर है यह सारा इलाका बैकवर्ड डिक्लेयर किया हुआ है लेकिन बीच में यह छोटा सा इलाका बचा हुआ है। मेरी सरकार से दरखास्त है कि जहां वह गुडगांव को इंडस्ट्रियल कॉम्पलैक्स बना रही है वहां इन दोनों तहसीलों, पलवल, पटौदी और सोहना कानूनगोई को मिलाकर एक अलग इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया

डिक्लेयर करे जिससे कि यहां के लोगों को रोजगार मिल सकें और उनकी इकोनोमिक अपलिफटमैंट हो सके।

चौ. संत कंवर (हसनगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, स्वामी जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन स्वामी जी ने और चौ. खुरशीद अहमद ने जिस इलाके का इस प्रस्ताव में जिक्र नहीं किया गया उसको इस प्रस्ताव में शामिल रकने के लिये कहा है और सरकार से प्रार्थना की है कि मेवात का थोड़ा सा इलाका भी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे जिले रोहतक की हसनगढ़ तहसील जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है उसकी भी यही हालत है (व्यवधान) किलोई की भी अच्छा हालत नहीं है। वहां पर बहुत अधिक भुखमरी पड़ी हुई है। वहां पर यह हालत है कि पिछले दस–दस साल से बराबर बाढ़ आती रही है। बाढ़ का इंतजाम सरकार पूरी तहसी से नहीं कर पाई है हालांकि सरकार काफी मदद कर रही है लेकिन सरकार की इतनी मदद के बावजूद बाढ़ का पूरी तरह से इंतजाम नहीं हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, खासतौर पर पर हसनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में दस–बारह गांव ऐसे हैं जहां पर कि पिछले साल भी ओले पड़े थे और इस साल भी ओले पड़ने से फसल का सफाया हो गया है। यह इलाका वर्स्ट अफैक्टिड है और यहां पर भुखमरी पड़ रही है यहां पर इतने वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान की लाज को रखा है और बहुत से मैडल जीत कर लाये, यहां पर चौ. छोटू राम पैदा हुए। आज

बदकिस्मती से वहां पर ओले पड़ने की वजह से भुखमरी है। मेरी प्रार्थना है कि आज जो बेरोजगार लड़के हैं उनकी तरफ ध्यान रखा जाए और खासतौर पर मेरे इलाके की तरफ अवश्य नजर रखी जाए। डा. मंगल सैन जी ने बहुत अच्छी स्कीम इन बेरोजगार लड़कों के लिए बनाई है। परमात्मा करे कि यह स्कीम कामयाब हो लेकिन इसको कामयाब करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी और हम सब लोग उनकी इस स्कीम में मदद करेंगे। हम डा. साहब से उम्मीद करते हैं कि इस हमारे इलाके को बैकवर्ड इलाका डिक्लेयर करें। हमें पूरी उम्मीद है कि डा. साहब इस ओर पूरा ध्यान देंगे और इस इलाके को बैकवर्ड घोशित करेंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं .....

श्री उपाध्यक्ष: संत कंवर जी बोलने वाले काफी हैं आप दो मिनट में खत्म करें।

चौ. संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर सब गरीब किसान की बात करते हैं इसलिये जब बजट में किसान के ऊपर टैक्स लगें तो हरेक मैम्बर का फर्ज हो जाता है कि उस टाईम चुप न बैठे .....

स्वामी आदित्यवेश: डिप्टी स्पीकर साहब, यह प्रस्ताव कुछ इलाकों को बैकवर्ड डिक्लेयर करने के बारे में है बजट के ऊपर बहस नहीं चल रही हैं।

चौ. संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि रोहतक की तहसील हसनगढ़ को बैकवर्ड डिक्लेयर करने की सिफारिश सेन्ट्रल गवर्नमैंट को करें और मुझे पूरी आशा है कि इस तरह की सिफारिश वे अवश्य भेजेंगे। डा. साहब की बेरोजगार पढ़े–लिखे लड़कों के लिये जो स्कीम है वह बहुत अच्छी है लेकिन इसमें सबसे बड़ी रूकावट यह है कि जहां एक ओर सरकार हर तरह की मदद कर रही है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के आफिसर्ज गांव–गांव में भेजे हैं जिससे वे लोगों को इंडस्ट्री लगाने के बारे में एडवाइज कर सकें लेकिन दूसरी ओर जो नेशनेलाइज्ड बैंक हैं वे गांव वालों को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह बैंकों को हिदायत जारी करे कि वे लागों को बिना सिकी हिचकिचाहट के पैसा दें। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मूल चन्द मंगला (पलवल): उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी आदित्यवेश जी ने जो प्रस्ताव इस हाउस के सामने रखा है कि गुड़गांव की तहसील नूह, फिरोजपुर झिरका, पलवल तथा उप तहसील पटौदी को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोशित किया जाए, मैं इसकी पुरजोर ताईद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इसी इलाके से सम्बन्धित है। आपको पता होगा कि ये इलाके बिलकुल ही पिछड़े रहे हैं और पिछले तीन सालों से ये तो लगातार बाढ़ की लपेट में रहे हैं जिसके कारण से किसानों को

बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण वहां पर बहुत गरीबी है। इन इलाकों में कोई जमीदारी नहीं है और न ही कोई व्यापारी संस्थाएं हैं और यह सारा इलाका सदा ही अन्डर वाटर रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में लाना चाहात हूं कि इन इलाकों में कोई शूगर मिल भी नहीं है, जिसके कारण वहां पर किसानों का गन्ना चार पांच रूपये क्विंटल के हिसाब से बिकता है। आज से सात साल पहले वहां के लिये एक शूगर मिल सैंकशन हुई थी और उस मिल के लाखों के शेयर भी बिके हुए हैं। वह पैसा गवर्नमैंट के पास जमा पड़ा है और पीछे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जब होडल में तशरीफ ले गये थे तब किसानों ने उनके आगे अपनी रिकवैस्ट रखी थी कि जब तक इस इलाके में कोई मिल नहीं होगी तब तक किसानों का उद्धार नहीं होगा। किसानों ने काह था कि हमारा गन्ना चार–पांच रूपये क्विंटल बिकता है और दूसरी जगहों पर 12 रूपये क्विंटल बिकता है तो उस वक्त मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आप गन्ना न बोओ कोई दूसरी जिन्स बोओं। तो फिर किसानों ने कहा कि हमारे यहां पर कोई दूसरी खेती होती ही नहीं है। इसलिये मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि किसानों की भलाई को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक शूगर मिल लगाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं एक बात और सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि पलवल से 5 शटल ट्रेन्ज

रोजाना, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ जाती हैं, जिसपर रोज करीब 20 हजार लोग आते जाते हैं। बहुत सारे लोग साईकिलों पर भी नौकरी करने के लिये जाते हैं। वे बेचारे सुबह 6 बजे धर से निकलते हैं और रात को बच्चों के सोने के बाद 8–9 बजे घर वापिस आते हैं। उनको केवल 300–400 रूपये तनख्वा हके मिलते हैं, जिसमें उन लोगों का गुजारा नहीं हो पाता। इसलिये आप ही देख लीजिए कि इन इलाकों में कितनी गुरबत है। इन हालात को देखते हुए यहां पर फैक्टरीज भी लगानी चाहिएं ताकि लोगों को रोटी रोजी के लिये दूर न जाना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जब श्रमदान का अभियान चला था, और यह कहा गया था कि नालों का काम बड़ी तेजी से किया जाए तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस एरिया के लोग इतने मेहनती है कि इन्होंने इस श्रमदान के अभियान में 50 नाले और 10 बांध बनाये और अपनी मेहनत का सबूत दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में सड़कों की हालत भी बड़ी खसता है, सरकार को इस तरह भी ध्यान देना चाहिए। गांव दतीर से फरीदाबाद जाने के लिये वाया पलवल अगर जाएं तो रास्ता बड़ा लम्बा पड़ता है, 10 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है। अगर वह सड़क बतौर से पिरथला मिला दी जाए तो वह केवल 7 किलोमीटर का ही एरिया रह जाता है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस तरह भी खास तवज्जोह दी जाए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। इससे लाखों रूपये का डीजल

भी सरकार का बच सकता है और साईकल पर जाने वाले लोगों को भी फायदा होगा। इसलिए इन कुछ बातों के साथ मैं स्वामी आदित्यवेश जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इन इलाकों को बैकवर्ड करार दे दिया जाए, मैं दोबारा फिर इसकी ताईद करता हुआ, और आपका धन्यवाद करता हुआ, अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

चौ. नारायण सिंह (पटौदी, अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर सहाब, जो प्रस्ताव मेरे साथी स्वामी आदित्य वेश जी ने रखा है, मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपको भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट गुडगांव कितना पिछड़ा हुआ इलाका है और यहां के लोग कितने गरीब हैं। मैं भी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूं, गरीबी का मुझे पता है, मैने गरीबी देखी है। आज भी हमारे इस इलाके में लोगों की हालत ऐसी है, कई खानदान ऐसे हैं जिनकी सुबह से शाम तक खाने के लिये रोटी नसीब नहीं होती, इससे ज्यादा गुरबत और क्या हो सकती है। मैं आपको बताता हूं कि जब लोग इंडस्ट्री के लिये लोन लेने के लिये जाते हैं तो उन लोगों को यह कहकर टाल दिया जाता है कि आपका इलाका बैकवर्ड नहीं है, इसलिये आपको कर्जा नहीं मिल सकता। गरीबी मैंने देखी है, जितनी गरीबी हमारे मुल्क में है उतनी बाहर के मुल्कों में नहीं है। मैं कई बाहर के मुल्कों में होकर आया हूं, कैनेडा, अमेरिका, पैरिस और लन्दन तक होकर आया हूं। वहां पर भी गरीब हैं। लेकिन वहां का हरेक गरीब खुशहाल है, उनके पास

कारें हैं, फर्नीचर ओर रहने के लिये मकान है लेकिन फिर भी वे लोग गरीब कहलाते हुए हमारी इन स्टेटों से आगे हैं (विघ्न) मैं अपनी स्टेट की बात कर रहा हूं हम तो किसी भी स्थान पर खड़े नहीं हो सकते।

Mr. Deputy Speaker: I would draw the attention of the hon. Member to Rule 179 which says –

"The discussion of a resolution shall be strictly relevant to and within the scope of the resolution".

चौ. नारायण सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इसी रैजोल्यूशन पर ही बोल रहा हूं। मेरा मतलब तो सिर्फ इन इलाकों की सही हालत यहां पर बताना था कि हमने कितनी गुरबत है। मैंने सोचा कि इसके लिये सरकार का ध्यान अवश्य दिलाना चाहिए। इसलिये मैं ज्यादा न कहता हुआ स्वामी जी ने जो यह प्रस्ताव पेश किया है कि गुडगांव की तहसील नूह, फिरोजपुर झिरका, पलवल तथा उप तहसील पटौदी को औधोगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोशित किया जाए, इसका पूरा पूरा समर्थन करता हुआ व आपका धन्यवाद करता हुआ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

चौ. राजेन्द्र सिंह (बल्लभगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी जी की तरफ से जो यह प्रस्ताव रखा गया है कि गुड़गांव की तहसील नूह, फिरोजपुर झिरका, पलवल तगि उप तहसील पटौदी को औद्योगिक रूप से पिछडा हुआ घोशित किया जाए, मैं इस

रैजोल्यूशन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आप भी इस क्षेत्र से सम्बन्ध रखते है। स्वामी जी ने जो यह रैजोल्यूशन सदन के सामने रखा है इसके जरिए एक बड़ी सच्चाई सरकार के सामने रखी गर्ठ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन इलाकों की हालत के बारे में यहां पर बताना चाहता हूं कि आप वहां के किसी घर में भी घुस कर देख लें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बहुत से परिवारों के पास पहनने के लिये कपड़े भी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) सरकार को इन इलाकों को बैकवर्ड करार दे कर लोगों की हर समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इन इलाकों में बहुत भारी गुरबत है बेचारा किसान मुश्किल से अढ़ाई–तीन रूपये रोजाना कमा कर अपना पेट पालता है जबकि दूसरे क्षेत्रों में हमारा किसान खुशहाल है। आप ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि इससे बढ़कर और गुरबत क्या हो सकती है। तो उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं इसका समर्थन करता हूं और अपनी सरकार से खासतौर पर उद्योग मंत्री डा. मंगल सैन जी से जोकि इस क्षेत्र को भली–भांति जानते हैं, निवेदन करूंगा कि यह जो प्रस्ताव रखा है इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और इसको पास करवाया जाये। हमारा एरिया औद्योगिक दृश्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है इसलिये यहां पर इंडस्ट्रीज लगाई जाएं ताकि वहां के लोग अपना गुजारा कर सकें। इन भाब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौ. गया लाल (हसनपुर, अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर सहाब, मैं स्वामी जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि नूह, फिरोजपुर झिरका, पलवल और पटौदी ये चारौं तहसीलें इस स्थिति में हैं कि जब लोग परली तरफ जाते हैं तो ऐसा मालूम देता है कि शायद हम उत्तर प्रदेश की साइड में आ गये हों। वहां की हालत बहुत खराब है और उस एरिया की पूरी बैलट में खारी पानी है। वहां पर एक आगरा कैनाल है जिससे किसानों को बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता है। अगर सिकी को एक दो पानी मिलते हैं तो उसे पूरा आबयाना देना पड़ता है। हरियाणा सरकार की तरफ से वहां पर सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है इसके अलावा वहां पर हमेशा फ्लड आते रहते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष: गया लाल जी, आप रैजोल्यूशन पर ही बोलें।

चौ. गया लाल: जहां तक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है हमारे यहां नूह और फिरोजपुर झिरका में कोई आई.टी.आई. नहीं है जहां कि गरीब लड़के ट्रेनिंग लेकर अपना रोजगार कर सकें। इसलिये मैं सरकार से और खासतौर पर डा. मंगल सैन जी से निवेदन करूंगा कि वे इस इलाके की तरफ भी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि क्योंकि यह सारा इलाका बैकवर्ड है इसलिये इसे इंडस्ट्रियली बैकवर्ड घोशित किया जाए।

चौ. राजेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है कि स्वामी जी का रैजोल्यूशन जिन क्षेत्रों से सम्बन्धित है आप उन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को दो–दो मिनट बोलने के लिये अवश्य दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: मैं ऐसा ही कर रहा हूं।

चौ. लाल सिंह (नारायणगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, आपको बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे टाइम देकर सही जड़ पकड़ी है। यह ठीक है कि सोहना और ताउडू गरीब इलाके हैं लेकिन अगर आपने गुरबत की पिक्चर देखनी है तो आप अभी मेरे साथ कालका चलें। हमारे मिनिस्टर साहब भी वहां पर दौरा करके आए हैं, वहां पर चारों तरफ से लोग नदियों से घिरे हुए हैं। वहां के लोग इतने गरीब हैं कि वे हिमाचल प्रदेश के इलाके में जाकर चार चार आने की लकड़ी बेच कर अपना गुजारा करते हैं। तो सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि सरकार को इससे बढ़िया चांस नहीं मिल सकता अगर वह आज ही उस इलाके को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड इलाका घोशित कर दे। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसका हक है वह उसी को मिलना चाहिए। ये जो पेपर मिल और गन्ने के मिल चल रहे हैं ये सारे दूसरे इलाकों में ही चल रहे हैं। हमारे इलाके के लोगों को अपना गन्ना बहुत दूर ले जाना पड़ता है इसलिये इधर भी कोई मल लगना चाहिए। मेरे इलाके में ज्यादा नदियां होने के कारण बाढ़ बहुत ज्यादा आती है और कालका के आस पास के जो इलाके हैं बरसात के दिनों में

ये कालका से बिल्कुल कट जाते हैं। इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि नारायणगढ़ के इलाके को सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियली बैकवर्ड घोशित किया जाना चाहिए। अन्त में मैं होम मिनिस्टर साहब से और ब्रिगेडियर साहब से यह प्रार्थना करूंगा कि वे मेरा इलाका देख कर आएं ओर वहां की हालत को देख कर नारायणगढ़ का फैसला कर दें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौ. शकरूल्ला (फिरोजपुर झिरका): डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने के लिये टाइम दिया। स्वामी जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं इसका समर्थन करता हूं। हमारा मेवाल का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। तीस साल से इस इलाके में फ्लड आ रहे हैं और यहां के लोग फ्लड से इतने परेशान है कि उनके खेत, घर सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। हमारे मिनिस्टर साहेबान भी कई बार उस इलाके में गये हैं और मैंने उनको वहां के लोगों की हालत दिखाई। वहां लोगों के पास पहनने को कपड़ा नहीं है और खाने के लिये अनाज नहीं है। आज मैं अपनी सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूं और अपने मुख्यमंत्री जी को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने आज मेवात के एरिया की तरफ भी ध्यान दिया है। वहां पर 18 करोड़ रूप्ये की लागत से एक उजीना ड्रेन निकाली गई है जिस पर इस समय हमारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन एक बात मुझे बड़े दु:ख के साथ कहनी पड़ती है कि उस ड्रेन पर जो लोग मजदूरी कर रहे

हैं उनको ठेकेदारी द्वारा बीस–बीस दिन और महीना–महीना तक उनकी मजदूरी नहीं दी जाती। कई बार तो ऐसी भी नौबत आई है कि ठेकेदार मजदूरों के साथ झगड़ा करके उनको थाने में पहुंचा देते हैं और गरीब आदमियों को पिटवा देते हैं। मैं खुद भी कई बार मौके पर पहुंचा हूं और उन गरीब आदमियों को छुडवा कर उनके पैसे दिलवाये। मेवात के लोग इतने परेशन हैं कि वे आज गुड़गांव और फरीदाबाद में रिक्शा चला रहे है और मेरी माताएं और बहिनें नजरों और सड़कों पर काम करती है। इनकी बुरी हालत को देख कर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौ. खुरशीद अहमद पदासीन हुए)

चेयरमैन साहब, मैं आपकी मार्फत सरकार से दर्खास्त करूंगा कि हमारे इलाके में जिसमें नूह, फिरोजपुर, झिरका, पटौदी, ताउडू, सोहना, पलवल वगैरह आते हैं, वहां पर फैक्ट्रीज लगाई जाएं और आई.टी.आईज भी खोली जाएं। ऐसा करने से वहां के पढ़े–लिखे नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह भी एलान किया था कि मेवाल के इलाके को 10 प्रतिशत सर्विस में रिजर्वेशन दी जाएगी। इसलिये उस वायदे को भी पूरा किया जाए। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके में कोई रेलवे लाइन नहीं है इसलिये मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि वह सैट्रंल गवर्नमैंट से वहां पर रेल लाईन निकालने की मांग करे। इससे, एक तो लोगों

को आवाजाई में आसानी होगी और दूसरे वहां पर अगर इंडस्ट्री लगाई जाती है तो वहां से बना हुआ माल बाहर भेजने में सुविधा होगी। हमारे इलाके में सड़कों की हालत भी बहुत खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं। इसके अलावा मेरे अपने गांव में मुख्यमंत्री जी तथा सिंचाई मंत्री जी गये थे और उन्होंने एलान किया था कि यह पहाड़ी दस लाख रू. की लागत से बनाई जाएगी लेकिन वहां पर आज तक काम शुरू नहीं हुआ। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके में पुलिस ने बहुत गड़बड़ मचा रखी है। मेरे अपने घर में चोरी हो गई थी और उसको आज एक साल हो गया है लेकिन चोर पकड़े नहीं जा सके हैं। हमारे फिरोजपुर झिरका में एक एस.एच.ओ. बहुत देर से बैठा हुआ है उसने इलाके में धांधली मचा रखी है। सिकी से वह दो हजार ले लेता है और किसी से तीन हजार ले लेता है। इस बारे में मैं वहां के डी.एस.पी. को भी मिला लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि उस एस.एच.ओं. को वहां से बदल दिया जाए। जो बातें मैंने बताई हैं अगर ये झूठी साबित हो जाएं तो मैं सजा भुगतने के लिये तैयार हूं। (विघ्न) इसलिये सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी यदि उस एस.एच.ओं. को बदल दिया जाये (शोर) चेयरमैन साहब, एक पहले एस.एच.ओ. था उस समय भी चोरियां हुई थीं। उसको चोरों के नाम बताये गये तो उसने चोरों को पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन उसी दौरान उसे बदल दिया गया जो बड़ी गलत बात है।

श्री सभापतिः आप वाइंड–आप कीजिए, या आप इस इलाके में इंडस्ट्री की बात कीजिए।

चौ. शकरूल्लाः चेयरमैन साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां सीमेंट ब्लैक में बिक रहा है, लोहा बिक रहा है और ईटें बिक रही है लेकिन किसी प्रकार की किसी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। चेयरमैन साहब, मेवात के इलाके में रूरल इंडस्ट्री की हालत भी बहुत खराब है। वहां के लोगों की हालत सुनने वाला कोई नहीं है। मैं सरकार का बड़ा शुक्रगुजार हूंगा यदि वहां छोटी–छोटी फैक्टरियां खोली जाएं और वहां के नवयुवकों को रोजगार दिलाया जाये ताकि वहां के लोगौं का रहने का दर्जा ऊंचा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं स्वामी आदित्यवेश जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौ. सरदार खां (नूह)ः चेयरमैन साहब, जो स्वामी जी द्वारा रैजोल्यूशन पेश किया गया है, मैं इसकी पुरजोर ताईद करता हूं और इससे पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने जो कहा है कि इस इलाके की बदतर हालत है मैं इसकी सौ फीसदी पुरजोर ताईद करता हूं। चेयरमैन साहब, इस इलाके की हालत बदतर बनाने के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है। सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी अगर इस ओर वह खास तव्वजह दें और इस इलाके को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मैं सरकार का मशकूर हूंगा यदि वह इस इलाके में इंडस्ट्री लगाने की ओर वव्वजह दे। हमारे इलाके की हालत इतनी खराब हो गई है कि इस इलाके को इंडस्ट्रियली

बैकवर्ड घोशित किया जाये। वहां पर ऐसे साधन मुहैया किए जाएं कि बाहर के लोग वहां आकर इंडस्ट्री लगायें ताकि हमारे यहां के लोगों को भी रोजगार मुहैया हो सके और कुछ बेरोजगारी की समस्या का भी हल हो सके। फिरोजपुर झिरका, पटौदी, नूह, सोहना, पलवल जो इंडस्ट्री में बैकवर्ड हैं उनको बैकवर्ड घोशित किया जाये। लोगों की परेशानी को किसी न किसी जरिये से दूर किया जाये। यदि आपके पास नौकरियां कम हैं तो आप इस इलाके में इंडस्ट्री लगवायें ताकि लोग इस दिशा में तरक्की कर सकें और अपनी बेरोजगारी को भी दूर कर सकें। गांव–गांव में इंडस्ट्री खोल दी जाये जिससे गावं के लोगों को रोजगार मिलें।

श्री मांगे राम गुप्ता: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि रूरल एरिया और इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया में कोई फर्क है?

डा. मंगल सैन: चेयरमैन साहब, यह क्या प्वायंट आफर आर्डर हुआ?

Mr. Chairman: This is no point of order.

चौ. सरदार खां: मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि इस इलाके में एक आई.टी.आई. को भी कायम किया जाये जिसकी बहुत जरूरत है। मैं संबन्धित मंत्री जी से इस इलाके के लोगों की ओर से पुरजोर अपील करूंगा कि उनकी डिमांडज को देखते हुए, उनकी जरूरतों को देखते हुए इस इलाके में एक आई.टी.आई.

जरूर कायम किया जाएं, ताकि वहां के लोग ट्रेड हो सकें ओर इंडस्ट्री का काम कर सकें। आपने जो इंडस्ट्रिलाईजेशन के सिलसिले में कार्यक्रम चलाया है इसके अनुसार लोग इंडस्ट्री चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए लोन लेने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों से लोन लेने के लिये काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बैंक वाले उनकी पूरी तरह मदद नहीं करते है इन दिक्कतों को दूर करवाया जाये तथा इस इलाके की हालत बेहतरीन बनाने के लिये जैसे मैंने पहले कहा वहां पर आई.टी.आई. को कायम किया जाए ताकि मेवात इलाके की बेरोजगारी दूर हो, लड़के ट्रेंड हो सकें। नूह को भी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड घोशित कर दिया जाये। इसी तरह पलवल, पटौदी, फिरोजपुर झिरका, सोहना के इलाके को भी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड करार दिया जाये ताकि इन इलाकों में इंडस्ट्री लग सके सरकार की मदद के बिना ये लोग इंडस्ट्री लगा भी नहीं सकते। इसलिये मेरी सरकार से अर्ज है कि इस इलाके को बैकवर्ड करार देने के लिये गवर्नमैंट तव्वजह दे और हमैं शुक्रिया अदा करने का मौका दें।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया (बावल, अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, स्वामी आदित्यवेश जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं आपका ध्यान हरियणा के आखिरी छोर की ओर जहां की मैं नुमाइंदगी करती हूं, दिलाना चाहती हूं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास जी ने

सबसे पहले यह काम किया था कि महेन्द्रगढ़ जिले को बैकवर्ड इलाकों की लिस्ट से निकाल दिया था। आप सबको मालूम है और आपने सबने देखा है कि यह इलाका कितना पिछड़ा है। हर व्यक्ति जानता है कि महेन्द्रगढ़ जिला और बावल का इलाका कितना पिछड़ा इलाका है। मैं उा. मंगल सैन जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने ग्राम लघु उद्योग शुरू करने की कोशिश की है, यदि सरकार वहां लघु उद्योग शुरू करे तो में आपका सहयोग देंगे। इसके साथ साथ मेरे हलके बावल से नैशनल हाई वे जाता है अगर इस इलाके को बैकवर्ड घोशित कर दिया जाये तो लघु उद्योग चलाने वालों को सामान ले जाने और लाने में परेशानी नहीं होगी। इस इलाके में बाढ़ों और प्रकृति के प्रकोप के कारण तीन तीन बार ओलों से फसल बर्बाद हो गई थी अब भी अच्छी तरह पैदावार नहीं हो सकी। अब की बार भी बाढ़ आई जैसा कि आप सबको मालूम हे कि इस इलाके में साहिबी नदी पूरी वेग से बहती है और हर बार वह अपना बहाव बदलती रहती है। इस बार भी इस नदी ने बहाव बदल कर फसल तहस नहस कर दी है। वहां के लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि लघु उद्योग को महेन्द्रगढ़ में चालू करने से आपका लघुउद्योग का उदेश्य सफल हो सकता है। मैं आशा करती हूं कि आप बावल इलाके को न भूलकर इस ओर विशेश ध्यान देंगे।

कैप्टन मांगे राम (झज्जर अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, जो प्रस्ताव स्वामी आदित्यवेश जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा और सरकार से पुरजोर सिफारिश करूंगा कि झज्जर सब डिवीजन जो कि बाढ़ से बुरी तरह तबाह है वहां एक झील है जिसने 8–10 गांवों को पानी से घेरा हुआ है तो मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि इन इलाकों के साथ जो सालहावास का इलाका झज्जर सब डिवीजन में आता है, इसको भी इसी में इन्कलूड किया जाए। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

चौ. जगजीत सिंह पोहलू (पाई): चेयरमैन साहब, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये टाईम दिया। यह जो स्वामी जी ने कुछ एरियाज को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड घोशित करने का प्रस्ताव रखा है, यह एक बहुत अच्छी बात है। मेरा सुझाव है कि दो इलाके फरीदाबाद और यमुना नगर को छोड़ कर बाकी तमाम हरियाणा को बैकवर्ड करार दे दिया जाए। लेकिन सभी एम.एल.ए. साहेबान ने कहा है कि इन एरियाज को बैकवर्ड करार दे दें लेकिन उसका रास्ता कोई नहीं बता सकता। उसका रास्ता मैं बताना चाहता हूं। अगर आपने हरियाणा की जनता को ऊपर उठाना है और गरीब जनता को रोटी कपड़ा ओर मकान देना है तो जितनी शहरों में इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर सीलिंग लगा दी जाए। डाक्टर साहब सीलिंग के बगैर गुजारा नहीं होगा जिस

तरह से आपने किसान की जमीन पर सीलिंग लगाई है उसी तरह से आप शहरों में इंडस्ट्री पर भी लगा सकते हो। (शोर)

श्रीमती शान्ति देवी: चेयरमैन साहब, मेरा एक रचनात्मक सुझाव है कि पोहलू साहब को आप कहिए कि देहात में तो इंडस्ट्री खुल नहीं रही हैं और शहरों में यह बन्द करवाना चाह रहे हैं तो आखिर इस गाड़ी को चलने देगें या नहीं?

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जो गरीब जनता की सरकार है वह सोशलिज्म लाना चाहती है। आज मैं ईमानदारी से कहता हूं कि गरीबों के बच्चे बगैर जूतों के सर्दियों में सड़कों पर चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज गरीबों की बहू बेटियां और 10–12 साल की नाबालिग लड़कियों सड़कों पर चार–चार रूपए मजदूरी करती हैं, यह किस बात का सोशलिज्म है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है और मेरा सुझाव है कि अगर आपने गरीबों को रोटी देनी है, रोजगार देना है तो जितनी इंडस्ट्रीज हरियाणा मे हैं, एक एक आदमी के पास कई कई कारखाने हैं। उनके पास एक कारखाने को छोड़ करके बाकी तमाम कारखाने उससे लेकर गरीब जनता में बांट दिये जाएं, इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है।

चौ. भागमल (सढौरा, अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं स्वामी आदित्यवेश जी के रैजोल्यूशन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी तवज्जो जैसा

कि आपको मालूम ही है और आपसे सारे हरियाणा को देखा है, मैं दूसरे कोने में ले जाना चाहता हूं। कालका से लेकर छछरौली, नारायणगढ़ और सढौरा यह तमाम एरिया ऐसा है कि इसकी हालत को आप देखे तो मालूम होगा कि वहां पर जंगलात की एक ऐसी मुसीबत है जिससे कोई आदमी बचा हुआ नहीं है, न वहां का किसान सुखी है और न ही कोई मजदूर। वहां पर इतनी नदियां हैं कि जिन से आए साल जमीन का कटाव होता है और किसान वहां पर अपनी खेती नहीं कर सकते और मजदूरों को मजदूरी मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी जैसे कि हमारी गवर्नमैंट ने एक स्कीम चलाई है। हम चाहते है कि इस एरिया में भी इंडस्ट्रीज खोली जाएं। हमने 10–12 इंडस्ट्रीज का प्रबन्ध भी किया है लेकिन चूंकि यह इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया नहीं है इसलिये वहां पर कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। ज्यादा न कहते हुए मैं आपके माध्यम से सारे सदन का और अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि कालका, सढौरा छछरौली और नारायणगढ़ को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर करके वहां के लोगों को सुविधाएं दी जाएं।

श्रीमती शान्ति देवी (कैलाना) चेयरमैन साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूं कि आखिर आपको हमारा भी ध्यान आ ही गया। मुझे कहना नहीं चाहिए कि आपने मुझे कईयों के बारे बोलने का चांस दिया जबकि मेरा पहला नम्बर था। खैर चेयरमैन साहब, मैं स्वामी आदित्यवेश जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने

रखा है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। मेरे हल्के में भी एक ऐसा एरिया है जिसे पिछड़ा घोशित करना अनिवार्य है। मेरे हल्के में एक एरिया ऐसा पड़ता है जहां पर पिछले दिनों यमुना की बाढ़ आयी और उस बाढ़ से गांव के गांव बह गये। वहां पर लोग आज ऐसी स्थिति में हैं कि ने उनके पास रहने को झोंपड़ी है, न खाने को रोटी मिलती है, न मजदूरी है और न ही नौकरी, वे गांव हैं दतौली, बेगा सनपेड़ा शाहपुर, तगाह, खेड़ी तगाह, घसोली, चन्दोली, पबनेरा, गयासपुर, पीपली खेड़ा, हसनपुर और उमेदगढ़। ये ऐसे गावं हैं जो कि वास्तव में बड़ी दयनीय अवस्था के अन्दर हैं। चेयरमैन साहब, यदि इन गांवों को औद्योगिक लिहाज से पिछड़ा हुआ घोशित कर दिया जाए तो मैं डाक्टर साहब की बहुत शुक्रगुजार हूंगी। इन शब्दों के साथ मैं स्वामी आदित्य वेश जी के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

चौ. गंगा राम (गोहाना): चेयरमैन साहब, मैं अपने माननीय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब, का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हरियाणा के किसी भी इलाके को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया घोशित करने के लिये कम से कम उस स्थान का चुनाव जरूर किया जाना चाहिए, जिस स्थान पर कोई फसल नहीं होती, जहां हमेशा फलड आता है जहां लोगों को कोई रोजगार देने का साधन नहीं है और जहां कमाई के कोई साधन नहीं है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अन्दर एक गोहाना तहसील है शायद उसको को जानता भी होगा। उसके अन्दर

सरकार का कोई कारखाना नहीं है। सरकार की कोई संस्था नहीं है। इसके इलावा तहसील गोहाना में लगातार 24 साल से फलड आ रहा है और आज हालत यह हो चुकी है कि सिवाय ईख पैदा होने के और कोई फसल वहां पैदा नहीं होती, ईख के सिवाये खाने के लिऐ और कोई अनाज पैदा नहीं होता। सारा गोहना बेरोजगार बैठा हुआ है और भूखा है। मैं अपने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि देहात के अन्दर जो गरीब लोग टोकरियां और कस्सियां लेकर मिट्टी खोदते हैं, रजबाहे खोदते हैं, रात दिन मजदूरी करते हैं, अगर इस इलाके को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया जाए ओर एक दो कारखाने लगा दिए जाएं तो लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके इलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शहरों के अन्दर जो बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, उनके अन्दर किसानों और मजदूरों के लड़के काम कर रहे हैं लेकिन उन कारखानों में मुनाफे का लाखों रूपया सरमायेदार अपनी जेब में डाल लेते हैं और जिन लोगों के कारखाने में अपना खून पसीना बहाकर काम किया है, वे पिस रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार को एक पालिसी बनानी चाहिए कि कारखानों के अन्दर जो मनाफा होता है वह कारखाने में काम कर रहे कर्मचारियों की जेबों में आना चाहिए, कारखाने के मजदूर उसके मालिक होने चाहिएं। आज हम देख रहे हैं कि पूंजीपति सारे हरियाणा को लूट कर आज फरीदाबाद में बैठा है। काम तो मजदूर करते हैं, पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं लेकिन मुनाफा एक बाहर का सरमायेदार ले जाता है। इसलिये मैं

सरकार से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार कहती है कि जमीन पर कास्त करने वाला आदमी जमीन का मालिक है इसी तरह से कारखाने में काम करने वाला मजदूर भी उसका मालिक होना चाहिए। मैं डा. मंगल सैन जी से प्रार्थना करूंगा कि इन बड़े बड़े कारखानेदारों से हरियाणा का पीछा छुड़ायें। मैं पहली दफा यह मांग कर रहा हूं कि गोहाने को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड घोशित करके वहां पर कम से कम एक कारखाना अवश्य लगना चाहिए। आज सरकार गरीबों को जमीन बांटना चाहती है, जमीन से ज्यादा पैदावार करना चाहती है लेनिकमैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर इन गरीबों को काम धंधा दे दिया जाए, दस्तकारी दे दी जाए और कारखानों में हिस्सेदार बना दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। हम काम चाहते हैं, इसलिये मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आज सारा हरियाणा भूखा मर रहा है, सारे देहात भूखे मर रहे हैं, सारे किसान, सारे मजदूर आज बिल्कुल नंगे हो चुके हैं, इनकी हालत सुधारने के लिए काम धंधे प्रोवाइड करना बहुत आवश्यक है।

चौ. हरिचन्द हुड्डा (किलोई): चेयरमैन साहब, स्वामी जी ने जो रैजोल्यूशन सदन में पेश यिका है कि फलां इलाके को बैकवर्ड घोशित किया जाए, मैं इनके साथ दो इलाके और जोड़ देता हूं—हसनगढ़ और किलोई का इलाका—चेयरमैन साहब, स्वामी जी ने इतिहास नहीं प्ढा, मैं और स्वामी जी इकट्ठे ही फिरोजपुर झिरका में आए थे, वे यहां बस गए और मैं जरा आगे बस गया।

चेयरमैन साहब, फ्लड का जिक्र आया, फ्लड तो सारे हरियाणा में आए लेकिन हमारे हल्के में एक खास किस्म का फ्लड आया। मेरे हल्के में जो फ्लड आया उसने जमीन की शक्ति को नास्तोनाबूद कर दिया। जैसे गुड़ से राला बन जाता है, उसी तरह हमारी जमीन फ्लड से बरबाद हो गई। मैं उस जमीन की तस्वीर गुड़ के राला से कम्पेयर करता हूं। जमीन से प्रोडकशन की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई और गवर्नमैंट ने खोई हुई शक्ति को देने का अब तक कोई इन्तजाम नहीं किया। मेरा इलाका कुछ तो रोहतक के साथ लगता है और कुछ रोहतक से दूर पड़ता है। जो इलाका दूर पड़ता है वहां के लोग भोले हैं, इन भोले लोगों के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इससे पहले मैं एक मिसाल देता हूं। मेरे इलाके में एक दाफ एक आदमी सिंध की तरफ से एक घोड़ी ले आया। उकसी देखा देखी में सब लोग घोड़ी ले आये। (हंसी) ये लोग ऐसे हैं कि अगर रेल में एक आदमी चढ़ गया, जिस डिब्बे में वह चढ़ा है सब लोग उसी डिब्बे में घुसते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है, विशेश तौर पर डा. साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि पापुलेशन के बेसिज पर उनको इंडस्ट्रीज लगा कर दें। हर गांव में एक या दो इंडस्ट्रीज सरकार की तरफ से लगनी चाहिए ताकि उसको देखकर सारे गांव वाले अमल करें। दो इंडस्ट्रीज तो हर गांव में लगा दी जाएं क्योंकि फ्लड से उनकी जमीन गुड़ के राले की तरह हो गई है। मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से अर्ज करना चाहता हूं कि हसनगढ़ और किलोई को बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए। (व्यवधान)

Mr. Chairman: Master Hukam Singh.

श्री शमेशर सिंह: आन ए प्वांट आफ आर्डर। चेयरमैन साहब, कल मीटिंग में .....

चौ. हरिचन्द हुड्डा: मैं अपने दोस्त को सलाह दूंगा कि रूक्के मार कर सरमाएदारों को चौकन्ना न करें, आराम से सरमायेदारों को गले से पकड़ लिया जाए .....(व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह: आन ए प्वांट आफर आर्डर। चेयरमैन साहब, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में फैसला हुआ था कि तीन प्रस्ताव हैं, इन तीनों को टाईम दे दिया जाए, लेकिन आप देख रहे हैं, अभी दो प्रस्ताव बाकी हैं, इन पर भी डिस्कशन होनी है, आप इस पर जरा गौर करें।

Mr. Chairman: That is being concluded. I am trying to get it concluded as early as possible. Master Hukam Singh will be the last member to speak on this resolution.

चौ. हुक्म सिंह (दादरी): चेयरमैन साहब, बेरोजगारी दूर करने के लिये वैसे तो सरकार उद्योग धंधे खोल रही है लेकिन कुछ लोगों को डर है कि उद्योग धंधे लगा लेने के बाद उनसे तैयार किया हुआ माल बिकेगा नहीं, और अगर नहीं बिका तो शायद यह जमीन भी उनकी नीलाम न हो जाए। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो उद्योग धंधे गांवों में लगाए जा रहे हैं इनके लिए जरूरी है कि सरकार कच्चा माल सप्लाई करे और उनके द्वारा तैयार किये हुए माल को आगे

बिकवाने का प्रबन्ध करें ताकि ये इंडस्ट्री अच्छी तरह से चल सकें और लोगों के मन से नुक्सान होने का डर दूर हो। चेयरमैन साहब, भिवानी का इलाका रेतीला इलाका है, यहां पानी का प्रबन्ध बहुत कम है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान खासतौर पर आकर्शित करना चाहता हूं कि अगर इस इलाके में बहुत कम बारिश होती है, कहर पड़ जाता है तो लोगौं को रोटी कमाना एक बड़ी भारी समस्या हो जाती है। मैं डा. साहब का ध्यान इस तरफ खींचाना चाहता हूं कि दादरी में डालमिया सीमेंट फैक्अरी में तीन हजार मजदूर काम कर रहे हैं लेकिन वहां मिसमैनेजमैंट होने की वजह से वह फैक्टरी घाटे में चल रही है और मजदूरों को डर है कि कहीं यह फैक्टरी बन्द न हो जाए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि फैक्टरी का मैनेजमै।अ ठीक करने के लिये वहां पर आई.ए.एस. अधिकारी भेजे जाएं और उसकी हालत को सुधारें। मिसमैनेजमैंट की वजह से ही वह फैक्टरी घाटे में चल रही है। सरकार तुरन्त सैन्ट्रल गवर्नमेंट को सिफारिश करे कि उसको फौरन अपने हाि में ले ले। अगर उसका मैनेजमैंट ठीक हो जाता है तो घाटै में चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वहां रा–मैटीरियल काफी तादाद में मिलता है। जानबूझकर मिसमैनेजमैंट क्रिएट करके यह फैक्टरी घाटे में चल रही है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक आई.ए.एस. आफिसर नियुक्त किया जाए और जो घपले होते हैं वे तुरन्त कन्द हों, फैक्ट्री घाटे में न चले और मजदूरी को विश्वास हो जाए कि यह फैक्टरी बन्द नहीं होगी। तकरीबन अढ़ाई–तीन हजार मजदूर उस फैक्टरी में काम करते हैं, अगर यह

फैक्टरी बन्द हो गई तो तीन हजार घर बन्द हो जाएंगे। अन्त में मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि सरकार उस फैक्टरी को अपने हाथ में ले ले।

उद्योग मंत्री (डा. मंगल सैन): चेयरमैन साहब, इस सदन के माननीय सदस्य स्वामी आदित्य वेश जी ने एक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिला गुड़गांव की तहसील नूह, फिरोजपुर झिरका, पलवल तथा उप–तहसील पटौदी को औद्योगिक रूपप से पिछड़ा हुआ घोशित करके तथा उनको औद्योगिक सुविधाएं देकर के साधन सम्पन्न तथा आत्म निर्भर बनाया जाए। चेयरमैन साहब, उन्होंने इसके समर्थन में जो बातें कही हैं, आपने भी कही हैं, इस सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहीं हैं, उनको सुनकर एक बात से मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं कि इस सदन के सब सदस्यों ने हरियाणा में बेकारी और बेरोजगारी के कारण निर्धनता के पाटों में पिसने वाली जनता की आवाज इस सदन में रखी है। इस बात के लिये ये सब बधाई के पात्र हैं। चेयरमैन साहब, मैं गुलाबी के बाद जो विरासत में मिला वह भुखमरी मिली, बेकारी और बेरोजगारी मिली। आजादी के बाद जिन लोगों के हाथों में यह सरकार रही, चेयरमैन साहब, मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता, उनकी इकौनामी अपनी प्रकार की होने की वजह से कुछ लोग तो पनप गए, मालोमाल हो गए, बाकी सारा वर्ग पिछड़ा हुआ रह गया। यह जो इमबैलैन्स हैं, आर्थिक विकास का असन्तुलन है, इसके कारण से बड़ी परेशानी होती है।

स्वामी जी ने, आपने और जिला गुड़गांव के बन्धुओं ने विशेशता रैजोल्यूशन से सम्बन्धित तहसीलों के प्रतिनिधियों ने मेवात की जनता का जो चित्र खींचा है, वहां की बहु बेटियों के सड़ पर काम करने की चर्चा की है, वहां के व्यक्तियों के तन पर पूरे कपड़ों की अपेक्षा फटे हुए चिथड़ों की बात कही है और घर बन्द करने के लिये दरवाजे तक न होने की बात बताई है, इन सारी बातों को सुन कर, चेयरमैन साहब, लज्जा से सिर झुक जाता है कि हम किस अवस्था में हैं और आज किन परिस्थितियों में इस प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर हमें मिला है। चेयरमैन साहब, आपने कहा कि लोग बाध्य होकर, मजबूर होकर रोटी की आग से परेशान हो कर अपने प्यारे भारत को छोड़ कर अरब मुल्कों में जा रहे हैं यह मजबूर होकर रिक्शा चलाने का काम करते हैं या मजदूरी करते हैं। चेयरमैन साहब, रैजोल्यूशन पर बात करते करते कुछ मित्र सीमा से बाहर भी चले गए। उन्होंने पुलिस के दमन की चर्चा कर दी, नौकरशाही का जो नंगा नाच होता है उसकी चर्चा कर दी। (विघ्न) चेयरमैन साहब, उनकी इस अवस्था के बारे में कोई दो राय नहीं है। यही हाल बाकी प्रदेश की जनता का है। बड़े थोड़े से क्षेत्र ऐसे हैं जहां उद्योग का विकास हुआ है और पुरानी सरकार अगर यह श्रेय लेना चाहे कि उन्होंने उद्योगों का बड़ा विकास किया है ऐसी बात नहीं है। (विघ्न) चेयरमैन साहब, बाकी मित्रों ने जो चर्चा की है मैं उसका उल्लेख भी अवश्य करना चाहूंगा। कुछ एक सदस्यों ने जो यह कहा कि सिरसा जिला को पिछड़ा घोशित कर दिया है उनको मैं यह बताना चाहता हूं

कि अभी तो वह भी पिछड़ा हुआ घोशित नहीं हुआ है (विघ्न) मुझे याद है कि हमने सदन में कहा था लेकिन केन्द्रीय सरकार वह बात नहीं मानी क्योंकि केन्द्रीय सरकार के अपने ही कुछ नियम बने हुए हैं। उन्हें हम बदलवा रहे हैं।

चेयरमैन साहब, आपने इस रैजोल्यूशन में सोहना कानूनगोई को जोड़ने की बात फरमाई, फिर आपने गृह मंत्री जी से सम्बन्ध रखने वाली सल्लू खां वाली जो बात कही उसका स्वयं इस सैशन के दौरान किसी उचित समय पर उत्तर देंगे। फिर भाई संत कंवर ने तहसील रोहतक की चर्चा की है। एक भाई ने सिंध की घोड़ी की बात कही थी लेकिन वह घोड़ी कहा चली गई उसका पता नहीं लगा। खैर, मैं संत कंवर जी को एक बात बता देता हूं। ठीक है हमारी तहसील का भी बहुत बुरा हाल है। नाम रोहतक जरूर है। कहा भी जाता है कि रोहतक बड़ा ऐडवांस जिला है लेकिन चेयरमैन साहब, हमारे ऊपर फ्लड की बड़ी मार पड़ती है। आज भी अगर आप वहां जाएं तो शहर में घुसते ही आपको सड़कें टूटी हुई मिलेगी। थोड़ी सी बारिश पड़ने से वहां पानी ही पानी इकट्ठा हो जाता है। (विघ्न) चेयरमैन साहब, मैंने रोहतक तहसील को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोशित करवाने का प्रयत्न किया था लेकिन केन्द्रीय सरकार के कुछ नौर्मज ही ऐसे हैं कि वे माने नहीं। फिर भी मैं चौ. संत कंवर जी को कह देना चाहता हूं कि इनके क्षेत्र में सरकार ने स्पोर्टस कंप्लैक्स लगाने का फैसला कर लिया है ताकि जालन्धर और मेरट

से हरियाणा के लिए जो कई किस्म का खेलों का सामान मंगवाना पड़ता है वह न मंगवाना पड़े। हमारे माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाशण में और कल वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में हरियाणा के जो नौजवान खेलों में आगे आए हैं उनकी विस्तार से चर्चा की है। हमने उन्हें प्रोत्साहन भी दिया, थपकी भी दी और खासतौर पर अपने विश्वविख्यात पहलवान चौ. चन्दगी राम जी को ज्वांयट डायरैक्टर भी नियुक्त किया। चेयरमैन साहब, मेरे मित्र नारायण सिंह जी विदेशों के चक्र में पड़ गए थे लेकिन फिर लौट आए। इन्हें ख्याल आया कि इनका इलाका पिछड़ा हुआ है उसके लिए कुछ काम करना चाहिए। वे वहां से चुन कर आए हैं, माननीय सदस्य हैं और रात दिन जनता का काम करते हैं। इनकी बात भी हमने बड़े ध्यान से सुनी। चौ. राजेन्द्र सिंह जी ने भी एक बात कही। मुझे तो डार हो गया था कि शायद बल्लभगढ़ वाले भी अपने को इस रैजोल्यूशन में शामिल करवायेंगे। इस गम में शामिल होकर चौ. गया लाल जी ने भी एक बात फरमाई। उन्होंने खारे पानी की चर्चा भी की, आई.टी.आई. की बात भी साथ जोड़ दी क्योंकि वह डिपार्टमैंट भी मेरे से सम्बन्धित है। इसका जवाब मैं बजट डिस्कशन के दौरान दंगा। चौ. लाल सिंह जी जब भी सदन में होते है। वे यहां आनन्द का वातावरण बना देते हैं। (विघ्न)

चौ. संत कंवर: डाक्टर साहब, मेरे हल्के के बारे में भी तो कुछ कह दो।

डा. मंगल सैन: उसके बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूं। शायद आप यहां नहीं थे। मैंने कहा है कि सांपला में स्पोर्टस कंप्लैक्स बन रहा है। (विघ्न) हौजरी कंप्लैक्स कुंडली में बनाने जा रहे है। (विघ्न) तो मैं कह रहा था कि चौ. लाल सिंह जी आप इत्मिनान रखें, आपके इलाके में भी कोई न कोई सुविधा जरूर देंगे।

चेयरमैन साहब, भाई शकरूल्ला जी ने इस रैजोल्यूशन पर बोलते बोलते अपनी चोरी का भी जिक्र किया। इसके बारे में तो मैं होम मिनिस्टर साहब से बात कर लूंगा लेकिन बाकी जो बातैं उन्होंने फरमाई हैं उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। (**इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए**)

स्पीकर साहब, सरदारखां भी ठीक ही फरमा गये। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद को जिला घोशित किया जाये। जिले के बारे में तो चौ. वीरेन्द्र सिंह ने फैसला करना है, वहा तो उनके मानने की बात है।

चौ. संत कंवर जी ने कहा कि बैंकों वाले लोन देने में आना–कानी करते हैं या कोई रूकावट डालते हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी यंग इन्टरप्रेन्योर्ज को इस मामले में कोई अड़चन डाले तो मेरे नोटिस में लाये, मैं उसके खिलाफ तुरन्त एकश्न लूंगा। मैंने ओर मुख्यमंत्री जी ने सभी बैंकस के रीजनल मैनेजर्ज की चाहे वे चण्डीगढ़ में हैं

या दिल्ली में हैं, मीटिंग बुलाकर यह कह दिया है कि जो हम ग्रामीण औद्योगिकरण का यज्ञ करने जा रहे हैं वे उसमें सहयोग दें। हरियाणा का जो नौजवान बलिदान दे कर देश की रक्षा करता है यह खेत में काम करता हे या खेत में मजदूर के रूप में हाथ बंटाता है उसको इस काम के लिए आप पूरी फैसेलिटी प्रदान करें। हमने उनको कहा है कि हरियाणा का जो नौजवान पढ़–लिख कर अपने मां–बा के लिए बोझ बन गया है उसका बेकारी से पीछा छुडाने के लिए हम ये उद्योग लगाने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, बैकों को इस मामले में सहयोग देना पड़ेगा और मुझे बड़े संतोश के साथ कहना पड़ रहा है कि वे प्रायः सहयोग दे भी रहे हैं। अगर कोई उसमें अड़चन है तो उसको जरूर दूर करेंगे।

बहिन शकुन्तला जी ने भी बावल इलाके का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस इलाके को भी शामिल कर लिया जाये, इधर कैप्टन मांगे राम जी ने भी झज्जर को शामिल करने के लिए कहा है, इस बारे में भी हम देख लेंगे लेकिन उसके साथ लगता हुआ साहलावास का इलाका तो पहले ही बैकवर्ड डिक्लेयर किया हुआ है।

पोहलू साहब का तो क्या कहना है, उसकी बातें तो अलग ही तरह की होती हैं। मैं तो उनको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं और पोहलू साहब तो साढ़े अठारह महीने इकट्ठे जेल में रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वह रैलेवैन्ट नहीं था। भाई भागमल

जी ने भी कहा कि मेरा इलाका भी बड़ा बैकवर्ड है क्योंकि इस इलाके में पहाड़ अधिक हैं और लोगों के पास साधन कम हैं, मैं उनकी बात को मानता हूं और उनके इलाके का भी ख्याल रखेंगे। बहिन राठी जी भी फरमा रही थीं कि उनका इलाका भी बहुत पिछड़ा हुआ है और चौधरी गंगा राम जी ने बहुत ही अनोखरी बात की है। उन्होंने कहा कि सारा हिस्सा ही कारखानेदार ले जाते हैं इसलिए कोई ऐसा कानून अभी तक बना नहीं है कि कारखानेदारों का हिस्स मजदूरों को मिल जाये। एक बात और उन्होंने कही कि सरकार की तरफ से कारखाने लगाये जायें। मैं उनके और सदन के नोटिस में ला देना चाहता हूं कि सरकार जमीन लेकर और कच्चा माल देकर उनको कहे कि आप बटन दबाओं और नोट छापो, ऐसा नहीं हो सकता। स्पीकर सहाब, जिन मुल्कों ने चाहे वह जर्मनी है या जापान है, तरक्की की है उन्होंने मेहनत की है। वहां के इन्टरप्रीन्योर्ज ने मेहनत की और सरकार ने भी सहयोग दिया। सरकार ने तो एक सिचुऐशन क्रियेट कर दी अब मेहनत करना लोगों का फज्र है। हसनगढ़ और किलोई की भी बात की गई कि वह इलाका भी पिछड़ा हुआ है। उस इलाके का भी सुधार होना चाहिए। ठीक बात है सरकार का कर्तव्य है कि करे। उधर से भाई हुक्त सिंह जी ने दादरी डालमियां सीमेंट फैक्टरी की जिक्र किया। मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं अगर न दिया तो हमारी सरकार के बारे कुछ मिस–अन्डरस्टैंडिग हो जायेगी। सीमैंट फैक्टरी का मालिक दो करोड़ और 14 लाख रूपया खा गया और सरकार ने कुछ न किया हो ऐसी बात नहीं

है। हमने उसका ढांचा हिला दिया था। मुझे पता है कि सीमैंट बनता है लेकिन लोगों को मिलता नहीं और फिर मालिक कह रहे हैं कि घाटे में चल रहे है। मैं मानता हूं कि वहां मिस–मैनेजमैंट भी है और पुरानी मैनेजमैंट ने हेराफेरी भी की है। मैं चौ. हुक्म सिंह जी को केन्द्रीय सरकार के उद्योग मंत्री के पास भी ले गया था और भाई शंकर लाल जी भी साथ थे। हमने कहा कि यह गरीबों का सवाल है ओर आप इस पर विचार करें। उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे। अभी हमारी बातचीत चल रही है। आप विश्वास रखें कि हमउ न मजदूरों को बिल्कुल नुक्सान नहीं होने देंगे।

स्पीकर साहब, चौ. देवी लाल की सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए यह फैसला किया है कि गांव में उद्योग धंधे लगाये जायें ताकि जो पढ़े–लिखे नवयुवक नौकरियों के पीछे घूम रहे हैं वे न घूमें। अब हमारा फैसला है कि एक आदमी जिसके पास थोड़ी जमीन है, दूसरा शिडयूल्ज कास्टस, तीसरा बैकवर्ड और चौथा महाजन ये चारों मिलकर अढ़ाई–अढ़ाई हजार रूप्ये इकट्ठा कर लें और पैसा उनकी सहायता के लिए हम उनको बैंकों से दिलायेंगे। 80 हजार रूपये तक हम उनको बैंकों से दिलायेंगे। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि कच्चा माल भी देंगे और जो माल तैयार करेंगे उसको स्माल स्केले और इन्डस्ट्रीयल डिवैल्पमैंट कारपोरेशन खरीदेगी। ऐसा हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कहा कि

जो गरीब आदमी अपने पल्ले से अढ़ाई–अढ़ाई हजार रूपया नहीं दे सकते हैं हम उनको सीड मनी पहले दे देंगे। ऐसा करने से तो और भी ज्यादा विकास हो सकता है। हमने लोगौं का विकास करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें विकास मंत्री, वित्तमंत्री और मैं हूं। हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने यह काम सौंपा है। हमने बड़े बड़े कारखानेदारों और उद्योगपतियों को बुलाया चाहे किसी ने करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में या फरीदाबाद में कारखाना लगा रखा है, सब को यही कहा कि आप एक एक उद्योग गांव में पांच लाख रूपये का जरूरत लगाएं।

स्पीकर साहब, जहां उनके बैकवर्ड एरिया घोशित करने का सवाल है इस बारे में हमने गवर्नमैंट आफ इंडिया को लिखा है और स्पीकर सहाब, अब गवर्नमैंट आफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन हैं प्लानिंग कमीशन के मैम्बर श्री बी.सी. शिवराम। वे इस इलाके का जल्दी ही फैसला करने वाले हैं। मैं आपके द्वारा सदन को भरोसा दिलाता हूं कि आपके इलाकों को बहुत जल्दी और पूरे प्रयत्न के साथ बैकवर्ड घोशित कराया जायेगा और जब तक केन्द्रीय सरकार की तरफ से बैकवर्ड घोशित नहीं किया जाता है हम राज्य सरकार की तरफ से उसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोशित करते हैं। इसलिए मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापिस ले लें।

स्वामी आदित्यवेश: मैं आदरणी डाक्टर मंगल सेन जी का हदय से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सदन के सामने यह

विश्वास दिलाया है कि हम अपनी ओर से प्रस्ताव के अनुसार वर्णित क्षेत्र को औद्योगिक दृश्टि से पिछड़े क्षेत्र की घोशणा करते हैं। इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

Mr. Speaker: Has the hon. Member the leave of the Hosue to withdraw his resolution?

(Voices: Yes)

The resolution was, by leave of the House, withdrawn.

(iii) राज्य में उच्च भारी प्रशासन में वृद्धि रोकने के लिये आई.ए. एस. कैडर की संख्या में और वृद्धि न करने सम्बन्धी

Mr. Speaker: Now, Sh. Kanwal Singh may please move his resolution.

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि राज्य में उच्च भारी प्रशासन में और वृद्धि को रोकने के दृश्टिगत यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि कम से कम अगले पांच वर्शो के लिए राज्य के आई.ए.एस. काडर की संख्या में कोई वृद्धि न होने देने के लिए राज्य सरकार प्रभावी पग उठाए।

Mr. Speaker: Motion moved –

With a view to check further increase in top heavy administration in the State, this House recommends to the Government to take effective steps not to allow any increase in the I.A.S. cadre strength of the State at least for the next five years.

श्री कंवल सिंह (धिराय): स्पीकर साहब, सन् 1947 में अंग्रेज यहां से चला गया। 300 साल के राज के बाद उस गुलामी के माहौल में जब वह चला गया तो वह एक आई.सी.एस. की जमात छोड़ गया था। इस क्लास का इस देश की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में बहुत भारी योगदान रहा है। लेकिन आजाद भारत में आहिस्ता–आहिस्ता यह देखने में आया है कि इस जमात को हमारे कांस्टीच्यूशन बनाने वाले हमारे फोर फादर्ज की भावना या नीयत के विरूद्ध, पहले से ज्यादा ताकत मिलती जा रही है। यह गवर्नमैंट फार दि पीपल एंड बाई दि पीपत है। लेकिन जहां तक आई.ए.एस. का ताल्लुक है, उनकी डिक्शनरी में यह फार दि आई.ए.एस. है और बाई दि आई.ए.एस. है। हमारे यहां पर आई.ए.एस. की स्ट्रैन्थ पहले ही बहुत ज्यादा है और इसका फैसला खुद आई.ए.एस. करते हैं कि कितनी होनी चाहिए। इस छोटे से प्रान्त के अन्दर 154 के करीब आई.ए.एस. हैं। हमें इतनी बड़ी आई.ए.एस. स्ट्रैन्थ की क्या जरूरत है हमें वाकई कितने लोगौं की जरूरत हैं, इस बात का फैसला करने के लिये न तो आजतक कोई कमेटी ही बैठी है और न ही कोई बिठाये जाने की सम्भावना दिखाई पड़ती है। इस राज्य में खासतौर पर चौ. बंसी लाल के टाईम पर प्रान्त की एडमिनिस्ट्रेशन दो ही आदमी चलाते थे। एक तो बंसी लाल और

दूसरे ये आई.ए.एस.। मेरा कहने का मतलब यह है कि उस जमाने में इनके हाथ में बहुत ज्यादा ताकत आ गयी थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि आई.ए.एस. केडार ने आई.पी.एस. केडर वालों को दबाने की कोशिश की। उस समय यह कर दिया गया था कि आई.पी.एस. अधिकारी की कान्फीडैंशियल रिपोर्ट लिखने के लिये आई.ए.एस. अधिकारी को अधिकार होगा। यह काम जो जनता पार्टी ने सरकार बनाते ही कर दिया। यानी जो गलत काम पहली सरकार ने किया था, उसको इस सरकार ने रिवर्स किया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आई.ए.एस. और आई.पी.एस., इंजीनियर्ज और डाक्टर्ज से बेहतर नहीं हैं। मैं यह बात मानता हूं कि आई.ए.एस. और आई.पी.एस. कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन पास करके आते हैं और काबिल होते हैं लेकिन जो इंजीनियर्ज और डाक्टर्ज बनेंगे वे ऐसे लोग ही बनेंगे जो ब्राइट स्टूडैन्टस रहे होंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको जो महत्ता मिलनी चाहिए, जो उनकी मान–सम्मान मिलना चाहिए और उनको जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, वह उन्हें नहीं मिलती है और पावर्ज तो उनकी चाहिएं भी नहीं अंग्रेज के जमाने में एक एक्स.ई.एन. जिले के एक डी.सी. के बराबर होता था। लेकिन आज हालत यह है कि एक्स.ई.एन. तो क्या आज एस.ई. भी डी.सी. के घर पर जाकर हाजिरी देता है। सी.एम.ओं. उस समय अपने जिले की एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक होता था और उसे भी डी.सी. के बराबर माना जाता था। लेकिन आज क्या सी.एम.ओ., क्या एक्स.ई. एन. क्या एस.ई. सबको डी.सी. के यहां पर हाजिरी देनी पड़ती है।

यह तो आज हालत हो रही है। इस देश के अन्दर आई.एस.एस. की ताकत बढ़ती ही जा रही है। मैं यह समझता हूं कि यह गवर्नमैंट सैंट्रल गवर्नमैंट से यह रिकोमैंड करे कि वह ऐसे कदम उठाये कि जिससे इनकी बढ़ती हुई तादाद में और पावर्ज में चैक लगाया जा सके। हमारी स्टेट के अन्दर कम से कम 27 कार्पोरेशन्ज हैं। इनकी तादाद को बढ़ाने के लिये यही लोग सुझाव देते हैं। कार्पोरेशन्ज खड़ी हो जाती हैं। किसी कार्पोरेशन का 2 लाख का बजट हो तो वहां पर आई.ए.एस. अफसर लग जाता है। आप चण्डीगढ़ में देखिए आई.ए.एस. आफिसर किस शान–शौकत से बैठते हैं? एक तरफ तो किसान के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ इन आई.ए.एस. लोगों के लिये 6–6 हजार रूप्ये की एक कारपैट आती है। 6–6 हजार के डाइनिंग टेबल आते हैं। इस सारे खर्चे के लिये किसान के ऊपर टैक्स, गरीब जमींदार के ऊपर टैक्स लगाये जाते हैं। इसी तरीके से आप दूसरी नौकरियां देखिए। इसलिये मैं आपके सामने यह प्रस्ताव रख रहा हूं कि ज्यादा लम्बे अर्से के लिये नही ंतो कम से कम 5 साल के यि इसकी स्ट्रैन्थ न बढ़ाई जाये। किसी भी चीज की बुक्कत तभी ज्यादा होगी जब वह कम होगी। इसलिये मैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि यह गवर्नमैंट से कहे और यह गवर्नमैंट सैंट्रल गवर्नमैंट से यह कहे कि कम से कम 5 साल तक आई.ए.एस. अफसरों की आगे भर्ती बन्द कर दैं। उसके बाद चाहे तो कमीशन बिठाकर या कोई कमेटी बिठाकर स्टेट की रिक्वायरमैंट के मुताबिक इनकी स्ट्रैन्थ फिक्स कर दे।

श्री अध्यक्ष: क्या आपका मतलब यह है कि एग्जीस्टिंग स्ट्रैन्थ में और वृद्धि नहीं होनी चाहिए ओर 5 साल के बाद रिक्ववायरमैंट को असैस करने के लिये कोई कमेटी या कमीशन बिठाया जाये।

चौ. संत कंवर (हंसनगढ): स्पीकर साहब, चौ. कंवल सिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हरियाणा स्टेट के अन्दर इसती हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हो चुकी है कि जिसका खर्चा उठाना इस छोटी सी स्टेट के काबिले बर्दाश्त नहीं है। स्पीकर साहब, जब हमारे लीडर साहेबान जो आज यहां पर सरकार बनाये बैठे हैं, अपोजीशन में होते थे तो इनमें से हमारे बहुत से लीडरान यह कहा करते थे कि अफसरशाही के ऊपर खर्चा बढ़ता जा रहा है और जनता के ऊपर इसका प्रीााव भी अनुचित तरीके से बढ़ता जा रहा है। स्पीकर साहब, आज स्टेट के अन्दर यह हालत हो रही है कि एस.एस.एस. बोर्ड के अन्दर एक अफसर ने अभी एक मेज मंगाया है जिसकी कीमत साढ़े छः हजार रूप्ये है और 1800 रूपये की एक कुर्सी मंगवायी हैं। 6–6 हजार रूपये के कारपैट वहां पर बिछे हुए हैं। कई कई हजार रूपये उनकी कार का खर्चा आता है। आप आई.ए.एस. के टी.ए./डी.ए. के बिल उठा कर देख ले। आपको यह पता लगेगा कि अगर दिल्ली में संडे या सैचरडे को कोई एम.एल.ए. चला जाये तो उसके लिये कोई करात नहीं मिलेगा लेकिन आई.ए.एस. अफसर वहां पर जाते हैं। वे हमेशा

आपको संडे और सैचरडे को वहां पर मिलेंग। आप मन्सूरी के रजिस्टर मंगवा लीजिये। वहां पर भी आपको आई.ए.एस. अफसर की मिलेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार को चलाने के लिये आई.ए.एस. अफसर को होना जरूरी है लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उनकी स्ट्रैन्थ पर रोक लगाई जाये, मैं चौ. कंवल सिंह जी की बात से सहमत हूं। इस सारे खर्चे को पूरा करने के लिये कभी किसान पर टैक्स लगाते हैं तो कभी किसी दूसरे आदमी पर टैक्स लगाते हैं। मैं यह चाहता हूं कि आम आदमी के ऊपर यह टैक्स का बोझा कम किया जाये। वह तभी हो सकात है जब इस हैवी–एडमिनिस्ट्रेशन पर जो खर्चा होता है, उसे कम किया जाये। मेरा कहने का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आई.ए.एस. केडर की स्ट्रैन्थ पर रोक लगे। आज हालत यह हे कि एक डी.सी. जो जिले के अन्दर बैठा हुआ है, उसकी तनख्वाह के बराबर उसके यहां सब्जी होती है। हिसार में तो शायद 8 एकड़ जमीन है जो कि डी.सी. की कोठी के साथ है। जिस तरीके से अंग्रेज ने जनता को दिखने के लिये यह किया था कि यह अफसर आपके ऊपर राज करने वाले हैं, उस तरह से कम से कम हमारी इस सरकार को तो नहीं करना चाहिए। आप को पता है जनता को उनके दरबार में पेश होना पड़ता था लेकिन चौ. देवी लाल जी ने सरकार बनाते ही एक ऐसा हुकमनामा जारी किया था कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कप्तान लोगों की शिकायतें सुना करेंगे। वह स्कीम बहुत कामयाब हुई है। लेकिन जिस तरीके से आम लोग या हम लोग उनके

दरबार में जाकर यह देखते हैं कि वहां पर कितना खर्चा हो रहा है, इसको देखते हुए लोगों के दिलों मैं एक दर्द उठता है कि उनकी गाढ़े पसीने की कमाई का टैक्स का पैसा किस बेरहमी से खर्च हो रहा है। यह काम अगर यह सरकार न कर सकी तो मैं यह समझूंगा कि और कोई भी दूसरी सरकार इस काम को नहीं कर सकती। स्पीकर साहब, समय को देखते हुए मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: अब अगले गैर–सरकारी काम वाले दिन यह रैजोल्यूशन जारी रहेगा।

The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 9th March, 1979.

***13.00 hours**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Friday, the 9th March, 1979.)